



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



1 अग्रहायण, 1945 (श०)

संख्या - 38 राँची, बुधवार

22 नवंबर, 2023 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 467- 551 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस.सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

प्रक-

...

...

प्रक "अ"

...

...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ****वित्त विभाग****अंकेक्षण निदेशालय****अधिसूचना**

9 अक्टूबर, 2023

संख्या-37 वि०अं० (1)रा० 08/2018-26--अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची की अध्यक्षता में दिनांक 07.07.2023 को सम्पन्न हुई विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक तथा दिनांक 21.09.2023 को प्रधान सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई विभागीय स्थापना समिति बैठक में लिये गये निर्णय एवं अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड अंकेक्षक संवर्ग के श्री शिवमंगल सिंह उप लेखा नियंत्रक (PB- II 9300-34800, ग्रेड पे- 4800) पुनरीक्षित पे-मैट्रिक्स लेवल-8 को लेखा नियंत्रक (PB-III 15600-39100 ग्रेड पे 6600) पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-11 में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अंकेक्षण निदेशालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची में लेखा नियंत्रक के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-37 वि०अं० (1)रा० 08/2018-27--कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या 2013 दिनांक 10.04.2023 द्वारा राज्य की सेवा / संवर्गों में कार्मिक विभागीय पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा लगाये गये प्रोन्नति में रोक के फलस्वरूप सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को देय तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में संकल्प की कंडिका-6 में निम्नवत निर्णय लिया गया है-

- (i) कार्मिक विभागीय पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2000 द्वारा प्रोन्नति में लगायी गयी रोक के फलस्वरूप राज्य के सेवा / संवर्ग में सेवानिवृत्त वैसे पदाधिकारीगण जो प्रोन्नति के अन्यथा योग्य (संबंधित सेवाशर्त नियमावली में प्रावधानित सभी शर्तों यथा वरीयता, आरक्षण उपबंध, कालावधि आदि को पूर्ण करते हो) थे एवं प्रोन्नति प्रदान किये जाने वाले पद की तत्समय उपलब्धता थी, तो उन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 एवं झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम- 74 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए प्रोन्नति हेतु योग्य होने की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से सभी आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान किया जाय।

- (ii) यह आदेश कार्मिक विभागीय पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा प्रोन्नति में लगायी गयी रोक की तिथि (24.12.2000) से इस आदेश के निर्गत होने के मध्य सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के संबंध में लागू होगी ।

2- उक्त संकल्प के आलोक में दिनांक 24.12.2020 से 10.04.2023 के मध्य झारखण्ड अंकेक्षक संवर्ग के सेवानिवृत्त वैसे उप लेखा नियंत्रक जो प्रोन्नति के अन्यथा योग्य हैं उनकी वरीयता क्रमानुसार लेखा नियंत्रक कोटि में प्रोन्नति हेतु अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची की अध्यक्षता में दिनांक 07.07.2023 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में श्री ललित मोहन स्वाँसी, सेवानिवृत्त उप लेखा नियंत्रक (सेवानिवृत्ति तिथि - 31.12.2022) (PB- II 9300-34800, ग्रेड पे- 4800) पुनरीक्षित पे-मैट्रिक्स लेवल-8 अंकेक्षण निदेशालय, प्रमंडलीय कार्यालय देवघर को दिनांक- 24.12.2020 के प्रभाव से लेखा नियंत्रक (PB- III 15600-39100 ग्रेड पे 6600) पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-11 में प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कौशल किशोर झा,
उप सचिव-सह-उप निदेशक अंकेक्षण
निदेशालय, झारखण्ड, राँची ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

11 सितम्बर, 2023

संख्या-4/नि०सं०12-50/2015-23993(HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री विभूति मंडल, कोटि क्रमांक-99/20 (द्वितीय बैच, गृह जिला-गोड्डा) की सेवा माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आदेश के आलोक में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद (WP(PIL) NO-3594/2011, बुद्धदेव उराँव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा अन्य याचिका) में अंतिम आदेश से प्रभावित होने की शर्त के साथ उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	BIBHUTI MANDAL-(JHK/JAS/116)	DC OFFICE DEOGHAR	<u>D C OFFICE</u> <u>DEOGHAR</u> <u>DEOGHAR</u> EXECUTIVE MAGISTRATE	01/09/2008	28/08/2011

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/CAC/16

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

6 सितम्बर, 2023

संख्या-4/नि०सं012-75/2020-23917(HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री फणिश्वर रजवार, षष्ठम बैच (गृह जिला-बोकारो) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	PHANISHWAR RAJWAR- (110072064727)	DC OFFICE GARHWA	<u>DANDA BLOCK,</u> <u>GARHWA</u> Block Development Officer	14/08/2020	14/08/2022

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/CAC/16

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

3 अगस्त, 2023

संख्या-4/नि०सं०-12-02/2021 का. 4491--श्री कुमार हर्ष, झा०प्र०से०, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा द्वारा उपभोग की गई अवकाश अवधि दिनांक-09.03.2023 से 28.05.2023 तक को झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के अधीन निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है-

- (क) दिनांक 09.03.2023 से 30.04.2023 तक - उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 तहत
(कुल 53 दिन)
- (ख) दिनांक 01.05.2023 से 28.05.2023 तक - अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत
(कुल 28 दिन)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

22 सितम्बर, 2023

संख्या-4/नि०सं०-12-88/2015-24261 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार मण्डल, कोटि क्रमांक-103/20 (द्वितीय बैच, गृह जिला-देवघर) की सेवा माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद (WP(PIL) No -3594/2011, बुद्धदेव उराँव बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य तथा अन्य याचिका) में अंतिम आदेश से प्रभावित होने की शर्त के साथ उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	JITENDRA KUMAR MANDAL (20080400103)	DC OFFICE PALAMAU	NOWDIHA BAJAR BLOCK, PALAMU Block Development Officer	01/09/2008	14/03/2023

2. श्री मण्डल के सेवा संपुष्टि के पश्चात विभागीय संकल्प संख्या 11031 दिनांक 27.09.2012 द्वारा उनके विरुद्ध अधिरोपित निन्दन तथा तीन वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड तथा विभागीय संकल्प संख्या 10475 दिनांक 10.12.2015 द्वारा उनके विरुद्ध दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/CAC/16

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

23 अगस्त, 2023

संख्या-3/नि०सं०-09-26/2020 का० 4807--श्री विनय कुमार मिश्र, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-14/20), अपर समाहर्ता, साहेबगंज को दिनांक 02.05.2023 से दिनांक 18.05.2023 तक (कुल 17 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

31 अक्टूबर 2023

संख्या-14/विविध-05/2023-4972—विभागीय संकल्प संख्या-1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को चिन्हित करने हेतु आयोग का गठन तथा चिन्हित आंदोलनकारियों/आश्रितों को सम्मान पेंशन एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने हेतु नीति निरूपण किया गया है ।

2. उक्त संकल्प के आलोक में आंदोलनकारियों/आश्रितों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग द्वारा उक्त संकल्प के अनुरूप विभिन्न श्रेणी के आंदोलनकारियों/आश्रितों को जिलावार चिन्हित कर राज्य सरकार को **चौबीसवीं संपुष्ट सूची पत्रांक-311, दिनांक-06.07.2023** द्वारा समर्पित किया गया ।

3. आयोग के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार संलग्न सूची के अनुसार चिन्हित आवेदक/आवेदिका को आंदोलनकारी/आश्रितों के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों/आश्रितों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी ।

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित/चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी/आश्रित की पहचान करते हुए उन्हें उक्त संकल्प के अनुसार देय सुविधायें तथा बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन अगले माह के प्रथम सप्ताह तक दिया जाना सुनिश्चित करेंगे ।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी/आश्रित को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके ।

6. यह दिनांक-20.04.2021 से प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह
सरकार के उप सचिव ।

23 वीं सम्पुष्ट सूची द्वारा चिन्हित आंदोलनकारियों की जिलावार विवरणी:-

क्र०सं०	जिला का नाम	कंडिका-02 (viii) (a)	कंडिका-02 (viii) (b)	कंडिका-02 (viii) (c)	कंडिका-02 (ix)	योग
1	बोकारो	12	-	-	04	16
2	चतरा	-	-	-	02	02
3	धनबाद	-	-	-	03	03
4	दुमका	02	-	-	01	03
5	पूर्वी सिंहभूम	06	-	-	03	09
6	गिरिडीह	03	-	-	01	04
7	गुमला	03	-	-	04	07
8	हजारीबाग	10	-	-	02	12
9	खूँटी	-	-	-	01	01
10	कोडरमा	03	-	-	09	12
11	लातेहार	-	-	-	01	01
12	लोहरदगा	03	-	-	12	15
13	रामगढ़	10	-	-	03	13
14	राँची	03	-	-	20	23
15	सरायकेला- खरसावां	-	-	-	04	04
16	सिमडेगा	-	-	-	07	07
17	प० सिंहभूम	03	-	01	15	19
	कुल	58	00	01	92	151

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

31 अक्टूबर 2023

अधिसूचना संख्या-14/विविध-05/2023-4972--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-III)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आन्दोलनकारियों की सूची:-

जिला:-बोकारो।

क्र०	आन्दोलनकारी की विवरणी	काण्ड/ वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	कल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-तालेश्वर महतो पिता-जगदीश महतो ग्राम-लाहरबेड़ा, बंदियो पोस्ट-बिरनी थाना-चन्द्रपुरा हाल प्रखण्ड-चन्द्रपुरा लिंग-पुरुष	अनु० दण्डा० बेरमो (तेनुघाट) वाद सं०- 604/89	नहीं	कारण-दिनांक-26.09.1989 झारखण्ड बंद की तिथि को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 113 (III)द०प्र०स० जेल अवधि-04 दिन।	कंडिका-02 (viii) (a)
2	आवेदक-नारायण महतो पिता-मेघलाल महतो ग्राम-बिरनीटोला, मंझलीटांड पोस्ट-बिरनी थाना-नावाडीह प्रखण्ड-नावाडीह लिंग-पुरुष	अनु० दण्डा० बेरमो (तेनुघाट) वाद सं०- 604/89	नहीं	कारण-दिनांक-26.09.1989 झारखण्ड बंद की तिथि को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 113 (III)द०प्र०स० जेल अवधि-04 दिन।	कंडिका-02 (viii) (a)

3	आवेदक-रेवतलाल महतो पिता-स्व० दुखन महतो ग्राम-लाहरबेड़ा पोस्ट-बिरनी थाना-नावाडीह प्रखण्ड-नावाडीह लिंग-पुरुष	अनु० दण्डा० बेरमो (तेनुघाट) वाद सं०- 604/89	नही	कारण-दिनांक-26.09.1989 झारखण्ड बंद की तिथि को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 113 (III)द०प्र०स० जेल अवधि-04 दिन।	कंडिका-02 (viii) (a)
4	आवेदक-वीर सिंह बेसरा उर्फ बिरसा बेसरा पिता-स्व० कार्तिक मांझी ग्राम-तुलबुल पोस्ट-हरदियामो थाना-गोमिया प्रखण्ड-गोमिया लिंग-पुरुष	महु आटांड (ललपनिया) थाना काण्ड संख्या-57/93	नही	कारण-दिनांक-25.09.1993 झारखण्ड बंद एवं आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर बिजली टावर को क्षतिग्रस्त करने का आरोप। धारा-427 भादवि, 3/4 वि०प०अधि० जेल अवधि-01 माह 12 दिन।	कंडिका-02 (viii) (a)
5	आवेदक-जगदीश मांझी पिता-सुकर मांझी ग्राम-हरदियामो पोस्ट-हरदियामो थाना-गोमिया प्रखण्ड-गोमिया लिंग-पुरुष	महु आटांड (ललपनिया) थाना काण्ड संख्या-57/93	नही	कारण-दिनांक-25.09.1993 झारखण्ड बंद एवं आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर बिजली टावर को क्षतिग्रस्त करने का आरोप। धारा-427 भादवि, 3/4 वि०प०अधि० जेल अवधि-01 माह 12 दिन।	कंडिका-02 (viii) (a)
6	आवेदक-मैनो देवी (आश्रित पत्नी) पति-स्व० महादेव मांझी (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम-ललपनिया पोस्ट-ललपनिया थाना-ललपनिया	महु आटांड (ललपनिया) थाना काण्ड संख्या-57/93	नही	कारण-दिनांक-25.09.1993 झारखण्ड बंद एवं आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर बिजली टावर को क्षतिग्रस्त करने का आरोप। धारा-427 भादवि, 3/4	कंडिका-02 (viii) (a) (आश्रित पत्नी)

	प्रखण्ड-गोमिया लिंग-महिला			वि०प०अधि० जेल अवधि-01 माह 12 दिन।	
7	आवेदक-दिनेश ठाकुर पिता-स्व० कन्हैया ठाकुर ग्राम-ललपनिया पोस्ट-ललपनिया थाना-महु आटांड प्रखण्ड-गोमिया लिंग-पुरुष	महु आटांड (ललपनिया) थाना काण्ड संख्या-57/93	नही	कारण-दिनांक-25.09.1993 झारखण्ड बंद एवं आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर बिजली टावर को क्षतिग्रस्त करने का आरोप। धारा-427 भादवि, 3/4 वि०प०अधि० जेल अवधि-02 माह 13 दिन।	कंडिका-02 (viii) (a)
8	आवेदक-योगेश्वर महतो पिता-शम्भूनाथ महतो ग्राम-बान्दगोडा पोस्ट-सतनपुर थाना-पिन्ड्राजोरा प्रखण्ड-चास लिंग-पुरुष	बोकारो स्टील सिटी थाना काण्ड सं० 150/89	नही	जी०आर० सं० 474 बी०/89 कारण:-दिनांक 09.06.1989 को झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा झारखण्ड बंद के अवसर पर झारखण्ड का नारा लगाकर बन्द कराने का आरोप। धारा-188 भा०द०वि० जेल की अवधि-07 दिन।	कंडिका-02 (viii) (a)
9	आवेदक-राधानाथ सोरेन पिता-स्व० दरबारी मांझी (सोरेन) ग्राम-उत्तासारा पोस्ट-उत्तासारा थाना-पेटरवार प्रखण्ड-पेटरवार लिंग-पुरुष	अनु० दण्डा० बेरमो वाद सं०-390/93	नही	कारण-दिनांक-16.09.1993 झारखण्ड बंदी की तिथि को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप धारा-107/116 द०प्र०स० जेल अवधि-27 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)
10	आवेदक-बिन्दिया देवी (आश्रित पत्नी) पति-स्व० महेश राम तुरी (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम-गोविन्दपुर	अनु० दण्डा० बेरमो वाद सं०-513/92	नही	कारण-दिनांक-30.08.1992 झारखण्ड बंदी की तिथि को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप धारा-107, 113 द०प्र०स०	कंडिका-02 (viii) (a) (आश्रित पत्नी)

	पोस्ट-बोकारो थर्मल थाना-बोकारो थर्मल प्रखण्ड-बेरमो लिंग-महिला			जेल अवधि-03 दिन	
11	आवेदक-मुरलीधर मांझी (आश्रित पुत्र) पिता-स्व० बाबुलाल मांझी (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम-चिलगड़ा पोस्ट-चिलगड़ा थाना-जरीडीह प्रखण्ड-जरीडीह लिंग-पुरुष	जरीडीह थाना काण्ड सं०- 46/89	नही	कारण-दिनांक-09.06.1989 झारखण्ड बंदी की तिथि को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप धारा-144, 341/188 भा०द०वि० जेल अवधि-09 दिन	कंडिका-02 (viii) (a) (आश्रित पुत्र)
12	आवेदक-दुलारचन्द्र नायक पिता-परमेश्वर नायक ग्राम-अईयर पोस्ट-ललपनिया थाना-ललपनिया प्रखण्ड-गोमिया लिंग-पुरुष	अनु० दण्डा० बेरमो वाद सं०-350/89	नही	कारण-दिनांक-11.06.1989 को झारखण्ड बंदी की तिथि को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप धारा-107 द०प्र०स० जेल अवधि-06 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)
13	आवेदक-करमी देवी (आश्रित पत्नी) पति-स्व० साहेबराम मांझी (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम-झिरके पोस्ट-उलगड़डा थाना-पेटरवार प्रखण्ड-बेरमो लिंग-महिला	पेटरवार थाना काण्ड संख्या- 118/93	नही	कारण-दिनांक 23.01.1993 को आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर नहर का तटबंध काटने का आरोप धारा-427, 430, 431 भा०द०वि०	कंडिका-02 (ix) (आश्रित पत्नी)
14	आवेदक-बैद्यनाथ महतो पिता-स्व० गाजो महतो ग्राम-बाराडीह पोस्ट-बाँधडीह थाना-जरीडीह प्रखण्ड-जरीडीह लिंग-पुरुष	नही	नही	कारण-अलग झारखण्ड राज्य की मांग नाकेबंदी से संबंधित दिनांक-30.09.1997 को प्रकाशित 'हिन्दुस्तान' अखबार (सत्यापित छायाप्रति) में नाम तथा अन्य पार्टी कागजात के आधार पर।	कंडिका-02 (ix)

15	आवेदक-दिवाकर महतो पिता-स्व० आशुतोष महतो ग्राम-गरीं पोस्ट-कसमार थाना-कसमार प्रखण्ड-कसमार लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण-अलग झारखण्ड राज्य की मांग नाकेबंदी से संबंधित दिनांक-30.09.1997 को प्रकाशित 'हिन्दुस्तान' अखबार (सत्यापित छायाप्रति) में नाम तथा अन्य पार्टी कागजात के आधार पर।	कंडिका-02 (ix) कंडिका-02 (ix)
16	आवेदक-काशीनाथ केवट पिता-स्व० मनसा केवट ग्राम-चलकरी पोस्ट-चलकरी थाना-पेटरवार प्रखण्ड-पेटरवार लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण-झारखण्ड आन्दोलन से संबंधित अखबार कतरन के आधार पर	कंडिका-02 (ix)

जिला:- चतरा

क्र०	आन्दोलनकारी की विवरणी	काण्ड/वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	कल्प संख्या-1938, दिनांक-20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-मिनहाजुल हक पिता का नाम-शफीक अहमद ग्राम-रहमत कदा रहमत चौक पोस्ट-चतरा थाना-सदर चतरा प्रखण्ड-सदर चतरा लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण- राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा झारखण्ड अलग राज्य से संबंधित पार्टी कागजात में नाम के आधार पर	कंडिका-02 (ix)

2	आवेदक-मो० नेसार पिता का नाम-स्व० मो० रियाजुद्दीन ग्राम-वार्ड नं० 16 लाईन मोहल्ला, पोस्ट-चतरा थाना-सदर चतरा प्रखण्ड-चतरा लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण- राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा सत्यापित झारखण्ड अलग राज्य से संबंधित पार्टी कागजात में नाम के आधार पर	कंडिका-02 (ix)
---	--	------	------	---	-------------------

जिला:- धनबाद

क्र०	आन्दोलनकारी की विवरणी	काण्ड/ वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	कल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-शिशुपाल महतो पिता-स्व० भीम महतो ग्राम-पटुगौडा पोस्ट-महुदा थाना-महुदा प्रखण्ड-बाघमारा लिंग-पुरुष	बाघमारा (महुदा) थाना काण्ड सं०- 166/83	नहीं	कारण:- दि० 09.05.1983 को निषेधज्ञा का उल्लंघन कर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-143, 188, भा०द०वि०	कंडिका-02 (ix)
2	आवेदक-चाईना मंडल (आश्रित पत्नी) पति-स्व० बदर मंडल (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम-केलियासोल पोस्ट-केलियासोल थाना-निरसा प्रखण्ड-निरसा लिंग-महिला	धनबाद अनु० एम०पी० वाद सं०-451/93	नहीं	कारण:- दि० 15.03.1993 को झारखण्ड बंद एवं दि० 16.03.1993 से अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 113 द०प्र०स०	कंडिका-02 (ix) (आश्रित पत्नी)

3	आवेदक-विनोद किस्कू (आश्रित पुत्र) पिता-स्व० गणेश मांझी उर्फ सुन्दर मांझी (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम-पोचरी पोस्ट-पोचरी थाना-बरोरा प्रखण्ड-बाघमारा लिंग-पुरुष	तोपचाची थाना काण्ड सं०-160/93	नहीं	कारण-दि० 01.10.1993 को झामुमो के कार्यकर्ताओं द्वारा आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर बम विस्फोट कर रेलवे लाईन उड़ाने का आरोप। धारा-435 भा०द०वि०, 3/4/5 वि०पदा०अधि०	कंडिका-02 (ix) (आश्रित पुत्र)
---	---	-------------------------------------	------	---	-------------------------------------

जिला:- दुमका

क्र०	आन्दोलनकारी की विवरणी	काण्ड/ वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	कल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-बड़धन हॉसदा (आश्रित पुत्र) पिता-स्व० मुंशी हांसदा (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम-जयपहाड़ी पोस्ट-सादीपुर थाना-रानेश्वर प्रखण्ड-रानेश्वर लिंग- पुरुष	पालोजोरी थाना काण्ड सं०-91/93	पृष्ठ सं०-43 क्र०-143	कारण:- दि० 22.11.1993 को झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-188 भा०द०वि० जेल की अवधि-02 दिन	कंडिका-02 (viii) (a) (आश्रित पुत्र)
2	आवेदक का नाम-नलिन सोरेन पिता का नाम-स्व० यदु सोरेन ग्राम-दानिनाथ मंदिर के विपरीत शिवतल्ला पोस्ट- अंकित नहीं। थाना-काठीकुण्ड प्रखण्ड-काठीकुण्ड लिंग-पुरुष	बी०सी०सी० ओ० केस नं०-77/88	नहीं	कारण:- दिनांक 28.11.1978 को महाजन प्रथा के खिलाफ जमीन मुक्ति एवं धन कटनी आंदोलन को आगे बढ़ाने का आरोप। धारा:-3(4) जेल की अवधि:-02 माह 08 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)

3	आवेदक का नाम-शम्भु महतो पिता का नाम-स्व० केवल महतो ग्राम-मनियारपुर पोस्ट-बेलदाहा थाना-तालझरी प्रखण्ड-जरमुण्डी लिंग-पुरुष	नही	नही	कारण:- राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पार्टी कागजात में नाम, शपथ पत्र तथा दुमका जिला के चिन्हित आन्दोलनकारी सोनालाल हेम्ब्रम द्वारा पहचान के आधार पर।	कंडिका-02 (ix)
---	--	-----	-----	---	-------------------

जिला:- पूर्वी सिंहभूम

क्र०	आन्दोलनकारी की विवरणी	काण्ड/ वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	कल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-परेश माझी पिता-बोदेन माझी ग्राम-पुदुडीह पोस्ट-बादिया थाना-मुसाबनी प्रखण्ड-मुसाबनी लिंग-पुरुष	अनु० दण्डा० धालभूम मिस केस सं० 108/93		कारण:- दिनांक 14.04.1993 को झारखण्ड नाकेबंदी के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-151, 107 द०प्र०स० जेल की अवधि-22 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)
2	आवेदक-सुरेन मुर्मू पिता-स्व० कारू मुर्मू ग्राम-टेटा, बादिया पोस्ट-बादिया थाना-मुसाबनी प्रखण्ड-मुसाबनी लिंग-पुरुष	अनु० दण्डा० धालभूम मिस केस सं० 108/93		कारण:- दिनांक 14.04.1993 को झारखण्ड नाकेबंदी के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-151, 107 द०प्र०स० जेल की अवधि-22 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)

3	आवेदक-खुदीराम माहली पिता-स्व० फागु माहली ग्राम-लाटिया पोस्ट-बादिया थाना-मुसाबनी प्रखण्ड-मुसाबनी लिंग-पुरुष	अनु० दण्डा० धालभूम मिस केस सं० 92/93	पृ.सं.-59 क्र.सं.- 42(14) पृ.सं.-60 क्र.सं.- 45(06)	कारण:- दिनांक 04.04.1993 को झारखण्ड नाकेबंदी के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-151, 107 द०प्र०स० जेल की अवधि-19 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)
4	आवेदक-सुनील दास पिता-महेन्द्र नाथ दास ग्राम-विकास नगर, सोनारी पोस्ट-सोनारी नार्थ ले आउट थाना-सोनारी प्रखण्ड-जमशेदपुर लिंग-पुरुष	बिष्टपुर थाना अप्राथ० सं० 07/93 अनु० दण्डा० धालभूम मिस वाद सं० 288/93		कारण:-दिनांक-15.03.1993 को झारखण्ड बंद एवं आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/116 दं०प्र०सं० जेल की अवधि:-14 दिन।	कंडिका-02 (viii) (a)
5	आवेदक-जीतु महतो पिता-दुर्गाचरण महतो ग्राम-गैंगडा पोस्ट-बागुंडा थाना-कमलपुर प्रखण्ड-पटमदा लिंग-पुरुष	पटमदा (कमलपुर) थाना काण्ड सं०-22/89 जी०आर० सं०-274/89		कारण:- दि० 17.05.1989 को नाजायज मजमा बनाकर झारखण्ड अलग राज्य की मांग हेतु पार्टी से जुड़ने का दबाव बनाने का आरोप। धारा-147, 323, 342 भादवि जेल की अवधि-01 माह 06 दिन।	कंडिका-02 (viii) (a)
6	आवेदक-सियाशरण शर्मा पिता-स्व० रामवीर सिंह ग्राम-गवालाबस्ती पोस्ट-इन्द्रानगर टेलको थाना-टेलको प्रखण्ड-गोलमुरी (जुगसलाई) लिंग-पुरुष	बड़बिल थाना काण्ड सं०- 33/88		कारण- दिनांक 02.04.1988 को नाजायज नजमा बनाकर निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर झारखण्ड अलग राज्य के लिए विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप धारा-143, 188, 153 भा०द०वि० जेल की अवधि- 08 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)

7	आवेदक-प्रहलाद चन्द्र सरकार पिता-कालीपद सरकार ग्राम-जोन नं0 3, बिरसानगर पोस्ट-बिरसानगर थाना-बिरसानगर प्रखण्ड-जमशेदपुर लिंगपुर	पटमदा (कमलपुर) थाना काण्ड सं0-22/89 जी0आर0 सं0-274/89		कारण:- दि0 17.05.1989 को नाजायज मजमा बनाकर झारखण्ड अलग राज्य की मांग हेतु पार्टी से जुड़ने का दबाव बनाने का आरोप। धारा-147, 323, 342 भादवि	कंडिका-02 (ix)
8	आवेदक-मतलूब अनवर खान पिता-स्व0 रूस्तम खान ग्राम- रोड नं0-08 आवास नं0-30 आजादनगर पोस्ट-आजादनगर थाना-मानगो प्रखण्ड-जमशेदपुर लिंगपुर	नहीं	नहीं	कारण- झारखण्ड अलग राज्य से संबंधित अभिप्रमाणित पार्टी कागजात के आधार पर	कंडिका-02 (ix)
9	आवेदक-राज लकड़ा पिता-स्व0 चम्पा लकड़ा ग्राम-अर्जुन बगान, टिनप्लेट, कदानी रोड पोस्ट-गोलमुरी थाना-गोलमुरी प्रखण्ड-जमशेदपुर लिंगपुर	नहीं	नहीं	कारण- झारखण्ड अलग राज्य से संबंधित अभिप्रमाणित पार्टी कागजात के आधार पर	कंडिका-02 (ix)

जिला:- गिरिडीह

क्र०	आन्दोलनकारी की विवरणी	काण्ड/ वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	कल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-मिथिलेश सिंह पिता-रामशोभित सिंह ग्राम-संतरूपी पोस्ट-जरमुने थाना-बगोदर प्रखण्ड-बगोदर लिंगपुर	बगोदर थाना काण्ड सं०-50/93	नहीं	दिनांक 17.03.1993 को झारखण्ड बंद की तिथि को जी०टी० रोड पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-143/144/307 भा०द०वि० जेल की अवधि-02 माह 29 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)
2	आवेदक-जगदीश महतो उर्फ जगु महतो उर्फ जागो महतो पिता-स्व० जितन महतो ग्राम-मुण्डरो पोस्ट-मुण्डरो थाना-बगोदर प्रखण्ड-बगोदर लिंगपुर	बगोदर थाना काण्ड सं०-50/93	नहीं	दिनांक 17.03.1993 को झारखण्ड बंद की तिथि को जी०टी० रोड पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-143/144/307 भा०द०वि० जेल की अवधि-01 माह।	कंडिका-02 (viii) (a)

3	आवेदक-मनोज सिंह उर्फ मांझो सिंह पिता-स्व० अर्जुन सिंह ग्राम-खटहाआम पोस्ट-डोरण्डा थाना-धनवार प्रखण्ड-धनवार लिंगपुरुष	धनवार थाना काण्ड सं० 48/96 जी०आर० 461/96	नही	कारण:- दिनांक 18.03.1996 को झारखण्ड मुक्ति मोर्चा सोरने गुट के कार्यकर्ताओं के द्वारा आवागमन बाधित करने का आरोप। धारा-341,323, 379 भा०द०वि० जेल की अवधि-13 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)
4	आवेदक-सांझो सिंह पिता-स्व० अर्जुन सिंह ग्राम-खटहा आम पोस्ट-डोरण्डा थाना-धनवार प्रखण्ड-धनवार लिंगपुरुष	धनवार थाना काण्ड सं० 48/96 जी०आर० 461/96	नही	कारण:- दिनांक 18.03.1996 को झारखण्ड मुक्ति मोर्चा सोरने गुट के कार्यकर्ताओं के द्वारा आवागमन बाधित करने का आरोप। धारा-341,323, 379 भा०द०वि०	कंडिका-02 (ix)

जिला:- गुमला

क्र०	आन्दोलनकारी की विवरणी	काण्ड/ वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	कल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-कुमार मिंज उर्फ मुक्त कुमार मिंज पिता-स्व० थेदोर मिंज ग्राम-भेड़ीताल, जित्या टोली पोस्ट-नवाडीह थाना-डुमरी प्रखण्ड-डुमरी लिंग-पुरुष	डुमरी थाना काण्ड सं० 13/89 जी०आर० सं० 259/89	नहीं	कारण:- दिनांक 20.04.1989 को झारखण्ड पार्टी के जुलूस के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने तथा रंगदारी का आरोप। धारा-427/379 भादवि जेल की अवधि-06 दिन।	कंडिका-02 (viii) (a)
2	आवेदक-बसंत तिर्की पिता-स्व० तलबियुस तिर्की ग्राम-हडसरी, करम टोली पोस्ट-नवाडीह थाना-डुमरी प्रखण्ड-डुमरी लिंग-पुरुष	डुमरी थाना काण्ड सं० 13/89 जी०आर० सं० 259/89	नहीं	कारण:- दिनांक 20.04.1989 को झारखण्ड पार्टी के जुलूस के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने तथा रंगदारी का आरोप। धारा-427/379 भादवि जेल की अवधि-06 दिन।	कंडिका-02 (viii) (a)
3	आवेदक-विशुन उराँव पिता-स्व० सुखदेव उराँव ग्राम-नवडीहा सरना टोली पोस्ट-नवडीहा थाना-घाघरा प्रखण्ड-घाघरा लिंग- पुरुष	सिसई थाना काण्ड सं०- 28/92 जी०आर० सं०-189/92	नहीं	कारण-दिनांक 02.03.1992 को आजसू आन्दोलन के दौरान बम बनाने का आरोप। धारा 3/4 वि० पदा०अधि० जेल की अवधि-10 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)

4	आवेदक-बहुरण मुण्डा पिता-स्व० दुखन मुण्डा ग्राम-मलंगो पोस्ट-आदर थाना-घाघरा प्रखण्ड-घाघरा लिंग-पुरुष	घाघरा थाना काण्ड सं० 18/93	पृ०सं०-81 क्र०-1(13)	कारण:- दि० 11.03.1993 को रैली से लौटते समय आजसू समर्थको द्वारा दुकान में मुफ्त में भोजन मांगना तथा तोड़फोड़ करने का आरोप	कंडिका-02 (ix)
5	आवेदक-शिव कुमार भगत पिता-स्व० चरवा भगत ग्राम-घाघरा पोस्ट-घाघरा थाना-घाघरा प्रखण्ड-घाघरा लिंग-पुरुष	घाघरा थाना काण्ड सं० 18/93	पृ०सं०-81 क्र०-1(1)	कारण:- दि० 11.03.1993 को रैली से लौटते समय आजसू समर्थको द्वारा दुकान में मुफ्त में भोजन मांगना तथा तोड़फोड़ करने का आरोप	कंडिका-02 (ix)
6	आवेदक-सीमा देवी पिता-स्व० लालदेव साहु पति-प्रेम शंकर साहु ग्राम-पोढ़ा पोस्ट-नागफेनी थाना-सिसई प्रखण्ड-सिसई लिंग-महिला	नहीं	नहीं	कारण:-नागपुरी गीत के माध्यम से झारखण्ड आन्दोलन को प्रेरित करने के साक्ष्य के आधार पर।	कंडिका-02 (ix)
7	आवेदक-सुनील कुमार भगत पिता-स्व० झलु भगत ग्राम-डाइहा पोस्ट-राकरौली थाना-सिसई प्रखण्ड-सिसई लिंग-पुरुष	नहीं		कारण-झामुमो० जिला सम्मेलन से संबंधित अखबार कतरन के आधार के आधार पर।	कंडिका-02 (ix)

जिला:- हजारीबाग

क्र०	आन्दोलनकारी की विवरणी	काण्ड/ वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	कल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-भुवनेश्वर कुमार उर्फ भुवनेश्वर महतो पिता-पोखनाथ महतो ग्राम- चैनपुर पोस्ट-चैनपुर थाना- माण्डू प्रखण्ड-डाडी लिंग-पुरुष	हजारीबाग वाद सं० 716/98	नहीं	कारण:- दिनांक-16.12.1998 को झारखण्ड बंद की तिथि को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 151 द०प्र०सं० जेल की अवधि-03 दिन।	कंडिका-02 (viii) (a)
2	आवेदक-सुरेन्द्र कुमार महतो उर्फ सुरेन्द्र कुमार पिता-नारायण महतो ग्राम- होसिर पोस्ट-डाडी थाना- गिददी प्रखण्ड-डाडी लिंग-पुरुष	हजारीबाग वाद सं० 716/98	नहीं	कारण:- दिनांक-16.12.1998 को झारखण्ड बंद की तिथि को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 151 द०प्र०सं० जेल की अवधि-03 दिन।	कंडिका-02 (viii) (a)
3	आवेदक-प्रहलाद सिंह पिता-झबर घटवार उर्फ झबर सिंह ग्राम-कोदवे पोस्ट-रबोध थाना- गिदधी 'ए' प्रखण्ड-डाडी लिंग-पुरुष	हजारीबाग वाद सं० 716/98	नहीं	कारण:- दिनांक-16.12.1998 को झारखण्ड बंद की तिथि को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 151 द०प्र०सं० जेल की अवधि-03 दिन।	कंडिका-02 (viii) (a)

4	आवेदक-सोहराम मांझी पिता-देना मांझी ग्राम-चैनपुर पोस्ट-चैनपुर थाना-माण्डू प्रखण्ड-डाडी लिंग-पुरुष	माण्डू थाना काण्ड सं० 147/94	नही	कारण:- दिनांक 06.06.1994 को झारखण्ड बन्दी की तिथि को विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप धारा-147/148/149 भा०दं०वि० जेल की अवधि-06 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)
5	आवेदक-महावीर मांझी पिता-कमल मांझी ग्राम-चैनपुर पोस्ट-चैनपुर थाना-माण्डू प्रखण्ड-डाडी लिंग-पुरुष	माण्डू थाना काण्ड सं० 147/94	नही	कारण:- दिनांक 06.06.1994 को झारखण्ड बन्दी की तिथि को विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप धारा-147/148/149 भा०दं०वि० जेल की अवधि-06 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)
6	आवेदक-रामलाल मांझी पिता-बसिया मांझी ग्राम-चैनपुर पोस्ट-चैनपुर थाना-माण्डू प्रखण्ड-डाडी लिंग-पुरुष	माण्डू थाना काण्ड सं० 147/94	नही	कारण:- दिनांक 06.06.1994 को झारखण्ड बन्दी की तिथि को विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप धारा-147/148/149 भा०दं०वि० जेल की अवधि-06 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)
7	आवेदक-बहादुर महतो पिता-नेमधर महतो उर्फ नेमधारी महतो ग्राम-चैनपुर पोस्ट-चैनपुर थाना-माण्डू प्रखण्ड-डाडी लिंग-पुरुष	माण्डू थाना काण्ड सं० 147/94	नही	कारण:- दिनांक 06.06.1994 को झारखण्ड बन्दी की तिथि को विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप धारा-147/148/149 भा०दं०वि० जेल की अवधि-06 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)

8	आवेदक-दशरथ महतो पिता-स्व० भोला महतो ग्राम-चैनपुर पोस्ट-चैनपुर थाना-माण्डू प्रखण्ड-डाडी लिंग-पुरुष	माण्डू थाना काण्ड सं० 147/94	नही	कारण:- दिनांक 06.06.1994 को झारखण्ड बन्दी की तिथि को विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप धारा-147/148/149 भा०द०वि० जेल की अवधि-06 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)
9	आवेदक-पुरन्दर ओहदार उर्फ पुरन्दर महतो पिता-स्व० झंगु ओहदार उर्फ झंगु महतो ग्राम-चैनपुर पोस्ट-चैनपुर थाना-माण्डू प्रखण्ड-डाडी लिंग-पुरुष	माण्डू थाना काण्ड सं० 164/83	नही	कारण:- दिनांक 09.05.1983 को झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के जेल भरो अभियान के दौरान विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-143/341/188 भा०द०वि० जेल की अवधि-06 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)
10	आवेदक-केदार महतो पिता-प्रयाग महतो ग्राम-गोरहर पोस्ट-गोरहर थाना-गोरहर प्रखण्ड-बरकट्टा लिंग-पुरुष	बरकट्टा थाना अप्राथ० सं० 11/93	नही	कारण:- दिनांक 15.03.1993 को झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/116 (iii)/151 द०प्र०स० जेल की अवधि-08 दिन।	कंडिका-02 (viii) (a)
11	आवेदक-कामेश्वर सिंह पिता-स्व० गानो सिंह ग्राम-कराली पोस्ट-केरेडारी थाना-केरेडारी प्रखण्ड-केरेडारी लिंग-पुरुष	टण्डवा थाना काण्ड सं०- 57/87	पृष्ठ-65 क्र०-(1)(1)	कारण:- दिनांक 19.11.1987 को झारखण्ड बंद के दौरान नजायज मजमा बनाकर हथियार से लैस होकर प्रखण्ड कार्यालय में तोड़फोड़ करने का आरोप। धारा-147, 148, 148 भा०द०वि०	कंडिका-02 (ix)

12	आवेदक-नागेन्द्र सिंह पिता-स्व० भुनेश्वर सिंह ग्राम- खपिया पोस्ट-केरेडारी थाना-केरेडारी प्रखण्ड-केरेडारी लिंग-पुरुष	टण्डवा थाना काण्ड सं०- 57/87	पृष्ठ-65 क्र०-(1)(2)	कारण:- दिनांक 19.11.1987 को झारखण्ड बंद के दौरान नजायज मजमा बनाकर हथियार से लैस होकर प्रखण्ड कार्यालय में तोड़फोड़ करने का आरोप। धारा-147, 148, 148 भा०द०वि०	कंडिका-02 (ix)
----	--	------------------------------------	-------------------------	---	-------------------

जिला:- खूँटी

क्र०	आन्दोलनकारी की विवरण	काण्ड/ वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	कल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक का नाम-लाल ज्ञानेन्द्रनाथ शाहदेव पिता का नाम-स्व० लाल जितेन्द्रनाथ शाहदेव ग्राम-तोरपा रोड, खूँटी पोस्ट-खूँटी थाना-खूँटी प्रखण्ड-खूँटी लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण:-झारखण्ड अलग राज्य से संबंधित अभिप्रमाणित पार्टी कागजात के आधार पर।	कंडिका-02 (ix)

जिला:- कोडरमा

क्र0	आन्दोलनकारी की विवरणी	काण्ड/ वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	कल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-रेशमी देवी (आश्रित पत्नी) पति- स्व0 दखिन हाँसदा (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम-ढोढाकोला पोस्ट-ढोढाकोला थाना-डोमचांच प्रखण्ड-डोमचांच लिंग-महिला	कोडरमा थाना अप्राथ0 सं0- 11/89 अनु दण्डा0 कोडरमा वाद सं0-367/89	नहीं	कारण:-दिनांक 09.06.1989 को झारखण्ड बंदी के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107 द0प्र0स0 जेल की अवधि-06 दिन	कंडिका-02 (viii) (a) (आश्रित पत्नी)
2	आवेदक-विश्वनाथ राय (आश्रित पुत्र) पिता-स्व0 चुरामन राय (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम-बंगाखलार पोस्ट-ढाब थाना-ढाब प्रखण्ड-डोमचांच लिंग-पुरुष	कोडरमा थाना अप्राथ0 सं0- 11/89 अनु दण्डा0 कोडरमा वाद सं0-367/89	नहीं	कारण:-दिनांक 09.06.1989 को झारखण्ड बंदी के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107 द0प्र0स0 जेल की अवधि-06 दिन	कंडिका-02 (viii) (a) (आश्रित पुत्र)
3	आवेदक-श्यामलाल राय (आश्रित पुत्र) पिता- स्व0 देवकी राय (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम-बंगाखलार पोस्ट-ढाब थाना-ढाब प्रखण्ड-डोमचांच लिंग-पुरुष	कोडरमा थाना अप्राथ0 सं0- 11/89 अनु दण्डा0 कोडरमा वाद सं0-367/89	नहीं	कारण:-दिनांक 09.06.1989 को झारखण्ड बंदी के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107 द0प्र0स0 जेल की अवधि-06 दिन	कंडिका-02 (viii) (a) (आश्रित पुत्र)

4	आवेदक-सुरेन्द्र तुरी उर्फ सुरेन्द्र तुरिया पिता-कृष्णा तुरी उर्फ कारू तुरिया ग्राम-ढोढोकोला पोस्ट-ढोढोकोला थाना-डोमचांच प्रखण्ड-डोमचांच लिंग-पुरुष	तिलैया थाना अप्राथमिक सं० 15/93 कोडरमा अनु० दण्डा० वाद सं० 124/93	नहीं	कारण:- दिनांक 15.03.1993 को झामुमो (सोरेन गुट) द्वारा झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग का आरोप। धारा-107, 151 दंडप्र०सं०	कंडिका-02 (ix)
5	आवेदक-अजय पाण्डेय पिता-गोविन्द पाण्डेय ग्राम-गुमो वार्ड नं०-22 पोस्ट-झुमरी तिलैया थाना-तिलैया प्रखण्ड-कोडरमा लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण:-झारखण्ड अलग राज्य आन्दोलन से संबंधित अखबार कतरन के आधार पर	कंडिका-02 (ix)
6	आवेदक-राजेश कुमार सिंह उर्फ राजु सिंह पिता-स्व० गोपाल प्रसाद सिंह ग्राम-न्यू कॉलोनी, कोडरमा पोस्ट-कोडरमा थाना-कोडरमा प्रखण्ड-कोडरमा लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण:-झारखण्ड अलग राज्य आन्दोलन से संबंधित अखबार कतरन के आधार पर	कंडिका-02 (ix)
7	आवेदक-मेनकी देवी पति-बालेश्वर ठाकुर ग्राम-बेलगढ़ा पोस्ट-बेकोबार थाना-कोडरमा प्रखण्ड-कोडरमा लिंग-महिला	नहीं	नहीं	कारण:-झारखण्ड अलग राज्य आन्दोलन से संबंधित अखबार कतरन के आधार पर	कंडिका-02 (ix)

8	आवेदक-बाल गोविन्द मोदी पिता-दशरथ मोदी ग्राम-महात्मा गांधी नगर वार्ड नं0-23 पोस्ट-झुमरी तिलैया थाना-तिलैया प्रखण्ड-कोडरमा लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण:-झारखण्ड अलग राज्य आन्दोलन से संबंधित अखबार कतरन के आधार पर	कंडिका-02 (ix)
9	आवेदक-कलावती देवी (आश्रित पत्नी) पति-स्व0 रामेश्वर राम (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम-पिपचो पोस्ट-मकतपुर थाना-जयनगर प्रखण्ड-जयनगर लिंग-महिला	नहीं	नहीं	कारण:-झारखण्ड अलग राज्य आन्दोलन से संबंधित अखबार कतरन के आधार पर	कंडिका-02 (ix) (आश्रित पत्नी)
10	आवेदक-तारणी प्रसाद पिता-रजनीकान्त प्रसाद ग्राम-कुशमई पोस्ट-नवलशाही थाना- नवलशाही प्रखण्ड-डोमचांच लिंग- पुरुष	नहीं	नहीं	कारण:-झारखण्ड अलग राज्य आन्दोलन से संबंधित अखबार कतरन के आधार पर	कंडिका-02 (ix)
11	आवेदक-भीम साहु उर्फ भीम साव पिता-नीरो साहु ग्राम-नवलशाही पोस्ट-नवलशाही थाना-नवलशाही प्रखण्ड-डोमचांच लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण:-झारखण्ड अलग राज्य आन्दोलन से संबंधित अखबार कतरन के आधार पर	कंडिका-02 (ix)

12	आवेदक-इस्लाम अंसारी पिता- स्व0 सहदुल अंसारी ग्राम-बेको पोस्ट-नईटॉड़ थाना-जयनगर प्रखण्ड-जयनगर लिंग-पुरुष	नही	नही	कारण:-झारखण्ड अलग राज्य आन्दोलन से संबंधित अखबार कतरन के आधार पर	कंडिका-02 (ix)
----	---	-----	-----	--	-------------------

जिला:- लातेहार

क्र0	आन्दोलनकारी की विवरणी	काण्ड/ वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नही	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	कल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक का नाम-विरेन्द्र ठाकुर पिता का नाम-स्व0 अर्जुन ठाकुर ग्राम-बरवाडीह पोस्ट- बरवाडीह थाना- बरवाडीह प्रखण्ड-बरवाडीह लिंग-पुरुष	नही	नही	कारण:- झारखण्ड अलग राज्य आन्दोलन से संबंधित अखबार कतरन के आधार पर।	कंडिका-02 (ix)

जिला:- लोहरदगा

क्र0	आन्दोलनकारी की विवरणी	काण्ड/ वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नही	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	कल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-रेखा देवी (आश्रित पत्नी) पति-स्व0 राजकपूर महतो (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम-सेन्हा बरवाटोली पोस्ट-सेन्हा थाना-सेन्हा प्रखण्ड-सेन्हा लिंग-महिला	घाघरा थाना काण्ड सं0 90/92 जी0आर0 सं0 788/92	नही	कारण:- दिनांक 18.09.1992 को झारखण्ड बन्दी की तिथि को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा- 327/427 भा0द0वि0 जेल की अवधि-02 माह	कंडिका-02 (viii) (a) (आश्रित पत्नी)
2	आवेदक-बुद्वदेव उराँव उर्फ कुछदेव उराँव पिता-स्व0 धन्नो उराँव उर्फ चान पाहन ग्राम-भण्डरा पोस्ट-बुटी थाना-सेन्हा प्रखण्ड-सेन्हा लिंग-पुरुष	अनु0 दण्डा0 राँची वाद सं0 1788/87	नही	कारण:-दिनांक-26.09.1987 को झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा- 107 द0प्र0स0 जेल की अवधि-01 माह 05 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)
3	आवेदक-रामचन्द्र भगत उर्फ पावेन्द्र एक्का पिता-दुर्गा भगत उर्फ बंधन एक्का ग्राम-पण्डिरया पाराटोली पोस्ट-जमगाई थाना-भण्डरा प्रखण्ड-भण्डरा लिंग-पुरुष	लोहरदगा थाना काण्ड सं0 124/87 जी0आर0 323/87	नही	कारण:-दिनांक-19.11.1987 को झारखण्ड बंद के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा- 188/341 भा0द0वि0 जेल की अवधि-04 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)

4	आवेदक-मुनेश्वर गिरि उर्फ मुकेश गिरि पिता-स्व० मुधुसूदन गिरि ग्राम-जिलिंग पोस्ट-पंडरा थाना-कुइ प्रखण्ड-कुइ लिंग-पुरुष	कुइ थाना काण्ड सं० 107/92 जी०आर० सं० 408/92	पृ०सं०- 73 क्र० 1(6)	कारण:- झारखण्ड बंद की तिथि दिनांक 15.09.1992 को पेट्रोल पंप में आग लगाने की धमकी देकर पेट्रोल मांगने का आरोप। धारा-384	कंडिका-02 (ix)
5	आवेदक-शीला उराँव (आश्रित पत्नी) पति-स्व० दसई उराँव (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम-नदी नगडा पोस्ट-नगडा थाना-लोहरदगा प्रखण्ड-लोहरदगा लिंग-महिला	लोहरदगा थाना काण्ड सं० 114/89 अनु० दण्डा० लोहरदगा एम०-441/89	नही	कारण:-दिनांक-25.09.1989 को झारखण्ड बंद के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा- 107/113 द०प्र०स०	कंडिका-02 (ix) (आश्रित पत्नी)
6	आवेदक-जगनन्दन पौराणिक उर्फ जयनंदन सिंह पिता-स्व० कंचन पौराणिक ग्राम-हरमू रघुटोली पोस्ट-हरमू थाना-लोहरदगा प्रखण्ड-लोहरदगा लिंग-पुरुष	लोहरदगा थाना अप्राथ० सं० 102/92 अनु० दण्डा० लोहरदगा वाद सं० एम०-544/92	नही	कारण:-दिनांक-23- 24/11/1991 को झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा- 107 द०प्र०स०	कंडिका-02 (ix)
7	आवेदक-हासिम हजाम पिता-स्व० मो० हातिम हजाम ग्राम-कोर्ट रोड पावरगंज पोस्ट-लोहरदगा थाना- लोहरदगा प्रखण्ड- लोहरदगा लिंग-पुरुष	लोहरदगा थाना अप्राथ० सं० 68/92 अनु० दण्डा० लोहरदगा एम०-371/92	नही	कारण:- दिनांक 01.09.1992 को झारखण्ड बंदी के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा- 107 द०प्र०स०	कंडिका-02 (ix)

8	आवेदक-मो० जाकिर हु सैन पिता-स्व० मो० यहया हु सैन ग्राम-न्यू रोड अमला टोली पोस्ट-लोहरदगा। थाना-लोहरदगा प्रखण्ड-लोहरदगा लिंग-पुरुष	नही	नही	कारण:- झारखण्ड अलग राज्य से संबंधित पार्टी कागजात के आधार पर ।	कंडिका-02 (ix)
9	आवेदक-शान्ति उराईन पति-स्व० बसंत उराँव ग्राम-बनसरी पोस्ट-सेन्हा थाना-सेन्हा प्रखण्ड-सेन्हा लिंग-महिला	नही	नही	कारण:- राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा सत्यापित पार्टी बैठक कागजात के आधार पर ।	कंडिका-02 (ix)
10	आवेदक-चरकु उराँव पति-स्व० विजय उराँव ग्राम-कुन्दगड़ी पोस्ट-अरू थाना-सेन्हा प्रखण्ड-सेन्हा लिंग-पुरुष	नही	नही	कारण:- राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा सत्यापित पार्टी सदस्यता रसीद के आधार पर	कंडिका-02 (ix)
11	आवेदक-हरि उराँव पिता-स्व० अघनु उराँव ग्राम-कुन्दगड़ी पोस्ट-अरू थाना-सेन्हा प्रखण्ड-सेन्हा लिंग-पुरुष	नही	नही	कारण:- राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा सत्यापित पार्टी सदस्यता रसीद के आधार पर	कंडिका-02 (ix)
12	आवेदक-केले उराँव पिता-स्व० विजय उराँव ग्राम-कुन्दगड़ी पोस्ट-अरू थाना-सेन्हा प्रखण्ड-सेन्हा लिंग-पुरुष	नही	नही	कारण:- राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा सत्यापित पार्टी सदस्यता रसीद के आधार पर।	कंडिका-02 (ix)

13	आवेदक-प्रकाश कच्छप पिता-स्व0 बुधवा कच्छप ग्राम-सरनाटोली, वार्ड नं0-15, नगर परिषद, पोस्ट-लोहरदगा थाना-लोहरदगा प्रखण्ड-लोहरदगा लिंगपुरुष	नहीं	नहीं	कारण:- सत्यापित पार्टी सदस्यता रसीद के आधार पर।	कंडिका-02 (ix)
14	आवेदक-रामनंदन साहु पिता-मुनेश्वर साहु ग्राम-जोगना पोस्ट-अरू थाना-सेन्हा प्रखण्ड-सेन्हा लिंगपुरुष	नहीं	नहीं	कारण:- राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा सत्यापित पार्टी बैठक पंजी के आधार पर।	कंडिका-02 (ix)
15	आवेदक-बुद्धदेव उरांव पिता-पलटू उरांव ग्राम-जोगना पोस्ट-सेन्हा थाना-सेन्हा प्रखण्ड-सेन्हा लिंगपुरुष	नहीं	नहीं	कारण:- राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा सत्यापित पार्टी बैठक पंजी के आधार पर।	कंडिका-02 (ix)

जिला:- रामगढ़

क्र०	आन्दोलनकारी की विवरणी	काण्ड/ वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	कल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-सत्येन्द्र राम पिता-बरियात रविदास उर्फ परियत राम ग्राम-रतवे पोस्ट-करमा थाना-माण्डू (कुज़ू) प्रखण्ड-माण्डू लिंग-पुरुष	माण्डू थाना काण्ड सं० 147/94 जी०आर० सं० 1075/94	नहीं	कारण:- दिनांक-06.06.1994 को झारखण्ड बन्दी की तिथि को विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147/148/149 भा०दं०वि० जेल की अवधि-06 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)
2	आवेदक-नरेश महतो पिता-छेदी महतो ग्राम-रतवे पोस्ट-करमा थाना-माण्डू (कुज़ू) प्रखण्ड-माण्डू लिंग-पुरुष	माण्डू थाना काण्ड सं० 147/94 जी०आर० सं० 1075/94	नहीं	कारण:- दिनांक-06.06.1994 को झारखण्ड बन्दी की तिथि को विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147/148/149 भा०दं०वि० जेल की अवधि-06 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)
3	आवेदक-खागेश्वर महतो पिता-स्व० अरजलाल महतो उर्फ राजलाल महतो ग्राम-रतवे पोस्ट-करमा थाना-माण्डू (कुज़ू) प्रखण्ड-माण्डू लिंग-पुरुष	माण्डू थाना काण्ड सं० 147/94 जी०आर० सं० 1075/94	नहीं	कारण:- दिनांक-06.06.1994 को झारखण्ड बन्दी की तिथि को विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147/148/149 भा०दं०वि० जेल की अवधि-06 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)

4	आवेदक-लोकेश्वर महतो पिता-स्व० अरजलाल महतो ग्राम-रतवे पोस्ट-करमा थाना-माण्डू (कुज़ू) प्रखण्ड-माण्डू लिंग-पुरुष	अनु० दण्डा० रामगढ़ वाद सं०-सी० 81/94	नहीं	दिनांक-06.06.1994 को झारखण्ड बन्दी की तिथि को विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/116/113 द०प्र०स० जेल की अवधि-04 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)
5	आवेदक-दुबराज महतो पिता-स्व० खुदु महतो उर्फ फुदु महतो ग्राम-रतवे पोस्ट-करमा थाना-माण्डू (कुज़ू) प्रखण्ड-माण्डू लिंग-पुरुष	अनु० दण्डा० रामगढ़ वाद सं०-सी० 81/94	नहीं	दिनांक-06.06.1994 को झारखण्ड बन्दी की तिथि को विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/116/113 द०प्र०स० जेल की अवधि-04 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)
6	आवेदक-जबीउल्लाह अंसारी पिता-गुलजार हु सैन ग्राम-रतवे पोस्ट-करमा थाना-माण्डू (कुज़ू) प्रखण्ड-माण्डू लिंग-पुरुष	अनु० दण्डा० रामगढ़ वाद सं०-सी० 81/94	नहीं	दिनांक-06.06.1994 को झारखण्ड बन्दी की तिथि को विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/116/113 द०प्र०स० जेल की अवधि-04 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)
7	आवेदक-मो० रफीक पिता-सकुर मियां ग्राम-रतवे पोस्ट-करमा थाना-माण्डू (कुज़ू) प्रखण्ड-माण्डू लिंग-पुरुष	अनु० दण्डा० रामगढ़ वाद सं०-सी० 81/94	नहीं	दिनांक-06.06.1994 को झारखण्ड बन्दी की तिथि को विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/116/113 द०प्र०स० जेल की अवधि-04 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)

8	आवेदक-रामकिशुन गिरि पिता-स्व० श्री गिरि ग्राम-दिगवार, पारटॉड पोस्ट-दिगवार थाना-माण्डू प्रखण्ड-माण्डू लिंग-पुरुष	अनु० दण्डा० रामगढ़ वाद सं०-सी० 81/94	नहीं	दिनांक-06.06.1994 को झारखण्ड बन्दी की तिथि को विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप धारा-107/116/111 द०प्र०स० जेल की अवधि-04 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)
9	आवेदक-संजू मुण्डा पिता-स्व० तिनका मुण्डा उर्फ रामेश्वर मुण्डा ग्राम-बोंगावार पोस्ट-भरेचनगर थाना-माण्डू प्रखण्ड-माण्डू लिंग-पुरुष	माण्डू प्राथ० सं० 85/93	नहीं	कारण:- दिनांक 20.03.1993 को आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा- 147/148/307 भा०द०वि जेल की अवधि-01 माह 02 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)
10	आवेदक-अमरलाल महतो पिता-कन्हैया महतो ग्राम-बोंगावार पोस्ट-भरेचनगर थाना-माण्डू प्रखण्ड-माण्डू लिंग-पुरुष	माण्डू प्राथ० सं० 85/93	नहीं	कारण:- दिनांक 20.03.1993 को आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा- 147/148/307 भा०द०वि० जेल की अवधि-01 माह 02 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)
11	आवेदक-खतीजा खातुन (आश्रित पत्नी) पति का नाम-स्व० सलीम मियाँ (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम-तोपा पोस्ट-तोपा थाना-माण्डू प्रखण्ड-माण्डू लिंग-महिला	अनु० दण्डा रागगढ़ वाद सं०-291/98	नहीं	दिनांक-16.12.1998 को आर्थिक नाकेबंदी के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप धारा-107/116/(3) द०प्र०स०	कंडिका-02 (ix) (आश्रित पत्नी)

12	आवेदक-दीपक कुमार सिंह उर्फ टाईगर पिता-सतीश सिंह ग्राम-पोचरा पोस्ट-बरकाकाना थाना-पतरातू प्रखण्ड-पतरातू लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	दिनांक- झारखण्ड अलग राज्य से संबंधित अखबार कतरन के आधार पर	कंडिका-02 (ix)
13	आवेदक-बिनोद बिहारी महतो पिता-स्व० काशीनाथ महतो ग्राम-टोनागातु पोस्ट-अंकित नहीं थाना-गोला प्रखण्ड-गोला लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	दिनांक- झारखण्ड अलग राज्य से संबंधित अखबार कतरन के आधार पर	कंडिका-02 (ix)

जिला:- राँची

क्र०	आन्दोलनकारी की विवरणी	काण्ड/ वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	कल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-प्रभाकर तिर्की पिता-स्व० फिलिप तिर्की ग्राम-कांके रोड पोस्ट-गांधी नगर थाना-गौंदा प्रखण्ड-सदर राँची लिंग-पुरुष	चुटिया थाना काण्ड सं० 260/87	नहीं	कारण:- दि० 25.09.1987 को झारखण्ड बंद के अवसर पर नाजायज मजमा बनाकर विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147, 148, 149 भा०द०वि० जेल की अवधि-01 माह 03 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)

2	आवेदक-मगन मुण्डा उर्फ मदन मुण्डा पिता-स्व० रामचन्दर मुण्डा ग्राम-पिपराबण्डा पोस्ट-हेन्देविली थाना-ओरमांझी प्रखण्ड- ओरमांझी लिंग-पुरुष	अनु० दण्डा० सदर राँची एम 331/93	नहीं	कारण: दिनांक 15.03.1993 को अलग झारखण्ड मांग को लेकर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप जेल की अवधि-01 माह	कंडिका-02 (viii) (a)
3	आवेदक-प्रदीप कुमार सुरेखा उर्फ प्रदीप कुमार पिता-स्व० गौरीषंकर सुरेखा ग्राम-हिन्दपीढ़ी, तीसरी गली पोस्ट-हिन्दपीढ़ी थाना-हिन्दपीढ़ी प्रखण्ड-राँची सदर लिंग-पुरुष	कुइ थाना काण्ड संख्या- 107/92 जी०आर 408/92	पृ०सं० 73 क्र०सं० 7(1)	कारण: झारखण्ड बंद की तिथि दिनांक 18.09.1992 को पेट्रोल पम्प में आग लगाने की धमकी देकर पेट्रोल मांगने का आरोप धारा-384 भा०द०वि० जेल की अवधि-02 दिन	कंडिका-02 (viii) (a)
4	आवेदक-महाबीर महतो पिता-स्व० गोपाल महतो ग्राम-टुटकी नवाडीह पोस्ट-टुटकी नवाडीह थाना-सिल्ली प्रखण्ड-सिल्ली लिंग-पुरुष	सिल्ली थाना सनहा सं० 307, दि० 16.03.1994	नहीं	कारण: दिनांक 16.03.1994 को झारखण्ड बंद की तिथि को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप धारा-107, द०प्र०स०	कंडिका-02 (ix)
5	आवेदक-संजय बसु पिता-स्व० सुनील कृष्णा बसु ग्राम-कांके रोड पोस्ट-कांके थाना-कांके प्रखण्ड-कांके लिंग-पुरुष	चाईबासा (मुफ्फ) थाना काण्ड सं० 24/93	नहीं	कारण:- दि० 15.03.1993 को झारखण्ड बंद तथा दिनांक 16.03.1993 को अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-427, 120 बी भादवि	कंडिका-02 (ix)

6	आवेदक-पवन महतो पिता-चैता महतो ग्राम-ताउ बुण्डू पोस्ट-बुण्डू थाना-बुण्डू प्रखण्ड-बूण्डू लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण: झारखण्ड बंद से संबंधित अखबार कतरन के आधार पर।	कंडिका-02 (ix)
7	आवेदक-शमीम मंसूरी पिता-अमीरूद्वीन अंसारी ग्राम-सिमलिया पोस्ट-सिमलिया थाना-रातू प्रखण्ड-कांके लिंग- पुरुष	नहीं	नहीं	कारण: झारखण्ड अलग राज्य की मांग से संबंधित पत्राचार के आधार पर	कंडिका-02 (ix)
8	आवेदक-संजीव सिन्हा पिता-स्व० द्वारिका लाल ग्राम-ज्ञानरंजन पथ, लोअर वर्दमान कम्पाउण्ड पोस्ट-लालपुर थाना-लालपुर प्रखण्ड-राँची सदर लिंग- पुरुष	नहीं	नहीं	कारण: झारखण्ड अलग राज्य की मांग से संबंधित पत्राचार के आधार पर	कंडिका-02 (ix)
9	आवेदक-रतन तिरू पिता-स्व० जीवन मसीह तिरू ग्राम-रेलवे कॉलोनी के पास थाना-चुटिया पोस्ट-चुटिया प्रखण्ड- राँची सदर लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण: झारखण्ड अलग राज्य की मांग से संबंधित पत्राचार के आधार पर	कंडिका-02 (ix)

10	आवेदक-अशोक लोहरा पिता-स्व० अप्पुराम लोहरा ग्राम-लोहरा कोचा पोस्ट-लालपुर थाना-लालपुर प्रखण्ड- राँची सदर लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण: झारखण्ड अलग राज्य की मांग से संबंधित पत्राचार के आधार पर	कंडिका-02 (ix)
11	आवेदक-गोपाल प्रसाद गुप्ता पिता-स्व० द्वारिका साहु ग्राम-मोराहबादी, हरिहर रोड पोस्ट-मोराहबादी थाना-बरियातु प्रखण्ड- राँची सदर लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण: झारखण्ड अलग राज्य की मांग से संबंधित पत्राचार के आधार पर	कंडिका-02 (ix)
12	आवेदक-भाई हालेन कुजूर पिता-स्व० सुलेमान कुजूर ग्राम-मंडेलियानगर, बरियातु रोड पोस्ट-अंकित नहीं थाना-बरियातु प्रखण्ड-राँची सदर लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण: श्री अनुज कुमार सिन्हा द्वारा लिखित पुस्तक 'अनसंग हिरोज ऑफ झारखण्ड मूवमेन्ट ' के आधार पर	कंडिका-02 (ix)
13	आवेदक-राजेन्द्र प्रसाद पिता-स्व० जयराम साव ग्राम-अप्सरा होटल के पीछे, कोठारी बन्धु लेन लोहरा कोचा पोस्ट-अंकित नहीं थाना-लोअर बाजार प्रखण्ड- राँची लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण: झारखण्ड अलग राज्य की मांग से संबंधित पत्राचार के आधार पर	कंडिका-02 (ix)

14	आवेदक-प्रेम सागर देवी पति-स्व० बिन्देश्वर राउत ग्राम-कुसई कॉलोनी, डोरण्डा पोस्ट-डोरण्डा थाना-डोरण्डा प्रखण्ड- राँची लिंग-महिला	नहीं	नहीं	कारण: झारखण्ड अलग राज्य की मांग से संबंधित पत्राचार के आधार पर	कंडिका-02 (ix)
15	आवेदक-मो० कलाम पिता-स्व० अब्दुर रहमान ग्राम-टमटम टोली, कांटाटोली चौक पोस्ट-लोअर बाजार थाना-लोअर बाजार प्रखण्ड-राँची सदर लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण: झारखण्ड अलग राज्य की मांग से संबंधित अखबार कतरन में नाम के आधार पर।	कंडिका-02 (ix)
16	आवेदक-मो० इम्तियाज पिता-स्व० सफदर अली ग्राम-दोअम्बा खोरा टोली पोस्ट-जी०पी०ओ० थाना-सदर प्रखण्ड-राँची सदर लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण: झारखण्ड अलग राज्य की मांग से संबंधित अखबार कतरन में नाम के आधार पर।	कंडिका-02 (ix)
17	आवेदक-पवन कुमार चौधरी पिता-स्व० बुन्दीलाल चौधरी ग्राम-फ्लैट नं०-202, ट्रिनीटी एमार्टमेन्ट, हवाई नगर पोस्ट-हटिया थाना-डोरण्डा प्रखण्ड-राँची सदर लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण: झारखण्ड राज्य आन्दोलन से संबंधित विभिन्न पैम्फलेट, पार्टी सदस्यता रसीद इत्यादि के आधार पर।	कंडिका-02 (ix)

18	आवेदक-नरसिंह महतो पिता-स्व० गोपाल महतो ग्राम-सुण्डील पोस्ट-टुटकी नवाडीह थाना-सिल्ली प्रखण्ड-सिल्ली लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण:- पार्टी बैठक पंजी में नाम अंकित है।	कंडिका-02 (ix)
19	आवेदक-मो० उमर भाई पिता-स्व० मो० सफीक ग्राम-गवाला टोली रोड हिन्दपीढ़ी पोस्ट-हिन्दीपीढ़ी थाना-हिन्दपीढ़ी प्रखण्ड-सदर राँची लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण:- झारखण्ड अलग राज्य आन्दोलन से संबंधित अखबार कतरन में नाम अंकित है।	कंडिका-02 (ix)
20	आवेदक-बादल महतो पिता-स्व० भागीरथ महतो ग्राम-डमारी पोस्ट-बुण्डू थाना-बुण्डू प्रखण्ड-बुण्डू लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण:- झारखण्ड अलग राज्य आन्दोलन से संबंधित अखबार कतरन में नाम अंकित है।	कंडिका-02 (ix)
21	आवेदक-समर बसु मल्लिक उर्फ संजय बसु मल्लिक पिता-अजित बसु मल्लिक ग्राम-हिन्दपीढ़ी पोस्ट-हिन्दपीढ़ी थाना-हिन्दपीढ़ी प्रखण्ड-सदर लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण-झारखण्ड आन्दोलन से संबंधित पुस्तको में नाम के आधार पर।	कंडिका-02 (ix)
22	आवेदक-दयामनी बारला पति-नेलसन बारला ग्राम-न्यू गार्डेन, सिरम टोली पोस्ट-चुटिया थाना-चुटिया प्रखण्ड-सदर लिंग-महिला	नहीं	नहीं	कारण-झारखण्ड आन्दोलन से संबंधित पुस्तको में नाम के आधार पर।	कंडिका-02 (ix)

23	आवेदक-मुकुन्द नायक पिता-स्व० घुरन नायक ग्राम-नायक मुहल्ला, चुटिया पोस्ट-चुटिया थाना-चुटिया प्रखण्ड-सदर लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	लोक कला-संस्कृति के माध्यम से झारखण्ड आन्दोलन के उत्साह को बढ़ाना।	कंडिका-02 (ix)
----	---	------	------	--	-------------------

जिला:- सरायकेला-खरसावां

क्र०	आन्दोलनकारी की विवरणी	काण्ड/ वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	कल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-मोहित राम महतो पिता- बीरसिंह महतो ग्राम-बेगनाडीह पोस्ट-सिन्धुकोपा थाना-सरायकेला प्रखण्ड-गम्हरिया लिंग-पुरुष	आदित्यपुर थाना काण्ड सं०-98/91 जी०आर सं०- 517/91	पृ०सं०- 31 क्र०सं०- 6(3)	कारण:- दि० 06.08.1991 को कार्यालय में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप। धारा-448, 323, 34 भा०द०वि०	कंडिका-02 (ix)
2	आवेदक-केपी सेट सोय पिता-स्व० गुरा सोय ग्राम-गोपीडीह पोस्ट-गोपीडीह थाना-कुचाई प्रखण्ड-कुचाई लिंग-पुरुष	चाईबासा मु० अप्राथ० 14/93 चाईबासा सदर अनु० दण्डा० वाद एम 56/93	नहीं	कारण:- दिनांक 15.03.1993 को झारखण्ड बंद एवं 16.03.1993 से अनिष्टितकालीन आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/113 द०प्र०स०	कंडिका-02 (ix)

3	आवेदक-गुरुचरण महतो पिता-स्व० दुर्गाचरण महतो ग्राम-असुरा पोस्ट-बुरुडीह थाना-खरसावाँ प्रखण्ड-खरसावाँ लिंग-पुरुष	खरसाँवा थाना अप्राथ० सं०-09/92 अनु० दण्डा० सरायकेला मिस केस सं० 126/92	नहीं	कारण:- दिनांक 21.03.1992 को झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107 द०प्र०स०	कंडिका-02 (ix)
4	आवेदक-दिलीप कुमार महतो पिता-स्व० बनमाली महतो ग्राम-घोड़ानेगी पोस्ट-घोड़ानेगी थाना-चांडिल प्रखण्ड-चांडिल लिंग- पुरुष	नहीं	नहीं	कारण:-झारखण्ड अलग राज्य आन्दोलन से संबंधित अखबार कतरन के आधार पर।	कंडिका-02 (ix)

जिला:- सिमडेगा

क्र०	आन्दोलनकारी की विवरणी	काण्ड/ वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	कल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-कमला देवी (आश्रित पत्नी) पति-स्व० जीतनाथ सिंह (मूल आंदोलनकारी) ग्राम-नवाटोली, बानो पोस्ट-बानो थाना-बानो प्रखण्ड-बानो लिंग-महिला	बानो थाना अप्राथ० सं० 17/93 अनु० दण्डा सिमडेगा वाद सं० 225/93	नहीं	कारण-दिनांक 13.09.1993 को झारखण्ड बंद एवं आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 113 दं०प्र०सं०	कंडिका-02 (ix) (आश्रित पत्नी)

2	आवेदक-मरकुस मड़की पिता-स्व० गालू मड़की ग्राम-भुरसाबेड़ा, रामजोल पोस्ट-बाँकी थाना-बानो प्रखण्ड-बानो लिंग-पुरुष	बानो थाना अप्राथ० सं० 17/93 अनु० दण्डा सिमडेगा वाद सं० 225/93	नहीं	कारण-दिनांक 13.09.1993 को झारखण्ड बंद एवं आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 113 दं०प्र०सं०	कंडिका-02 (ix)
3	आवेदक-देवमाइन कैथवार पिता-भुटका कैथवार ग्राम-अंबाटोली, तिनसोगड़ा पोस्ट-बानो थाना-बानो प्रखण्ड-बानो लिंग-पुरुष	बानो थाना अप्राथ० सं० 17/93 अनु० दण्डा सिमडेगा वाद सं० 225/93	नहीं	कारण-दिनांक 13.09.1993 को झारखण्ड बंद एवं आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 113 दं०प्र०सं०	कंडिका-02 (ix)
4	आवेदक-रोबर्ट तोपनो पिता-स्व० लूथर तोपनो ग्राम-कनरवा पोस्ट-लचड़ागढ़ थाना-बानो प्रखण्ड-बानो लिंग-पुरुष	बानो थाना अप्राथ० सं० 17/93 अनु० दण्डा सिमडेगा वाद सं० 225/93	नहीं	कारण-दिनांक 13.09.1993 को झारखण्ड बंद एवं आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 113 दं०प्र०सं०	कंडिका-02 (ix)
5	आवेदक-लेतारे होरो (आश्रित पत्नी) पति-स्व० विलसन होरो (मूल आंदोलनकारी) ग्राम-रामजड़ी पोस्ट-कुटुंगिया थाना-जलडेगा प्रखण्ड-जलडेगा लिंग-महिला	जलडेगा थाना काण्ड सं० 23/89	नहीं	कारण-दिनांक 15.05.1989 को झारखण्ड पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा झारखण्ड बंद के दौरान रंगदारी मांगने का आरोप। धारा-126(बी) रेल अधि/379 भा०दं०वि	कंडिका-02 (ix) (आश्रित पत्नी)

6	आवेदक-अनुकम्पा मुंझ (आश्रित पत्नी) पति-स्व० तुरतन मुंझ (मूल आंदोलनकारी) ग्राम-फारसाबेड़ा पोस्ट-खूँटीटोली थाना-सिमडेगा प्रखण्ड-सिमडेगा लिंग-महिला	सिमडेगा थाना अप्राथ० सं० 84/96 अनु० वाद सं० 273/96	नहीं	कारण:- दिनांक 12.09.1996 को आर्थिक नाकेबंदी के दौरान रेलवे लाईन को बाधित करने का आरोप। धारा-107 द०प्र०स०	कंडिका-02 (ix) (आश्रित पत्नी)
7	आवेदक-रमेश लोहरा (आश्रित पति) पत्नी-स्व० फुलेश्वरी केरकेट्टा (लोहारिन) (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम-लसिया पो०-लसिया थाना-कोलेबिरा प्रखण्ड-कोलेबिरा लिंग-पुरुष	बानो प्राथ० सं०-53/89 जीआर 252/89 एस०टी० 129/98	नहीं	कारण:-दि० 22.09.1989 को नाजायज मजमा बनाकर झारखण्ड का नारा लगाने का आरोप। धारा-147/301/426 भा०द०वि०	कंडिका-02 (ix) (आश्रित पत्नी)

जिला:- पश्चिमी सिंहभूम

क्र०	आन्दोलनकारी की विवरणी	काण्ड/ वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	कल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-सिंगराय हेम्ब्रम (आश्रित पुत्र) पिता-स्व० तुरी हेम्ब्रम (मूल आन्दोलकारी) ग्राम-बानाबींज पोस्ट-शारदा थाना-मुफ्फसिल प्रखण्ड-खूँटपानी लिंग-पुरुष	चाईबासा (मु०) थाना काण्ड सं०-73/89 जी०आर० सं०-263/89	पृ०सं०-8 क्र०28(5)	कारण:-दिनांक 22.04.1989 को एकमत होकर पुलिस पार्टी पर हमला करने का आरोप धारा-147/148/149 भा०द०वि० जेल की अवधि-02 साल 01 माह 06 दिन	

2	आवेदक-ज्वाला कोड़ा पिता-स्व० शत्रुधन कोड़ा ग्राम-बासिरा पोस्ट-मालुका थाना-जगन्नाथपुर प्रखण्ड-जगन्नाथपुर लिंग-पुरुष	अनु० दण्डा० चाईबासा मिस केस सं०-258/93	नहीं	कारण:-दिनांक 14.09.1993 को झारखण्ड बंदी की तिथि को विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप धारा-107/116 (iii) द०प्र०स जेल की अवधि-17 दिन	
3	आवेदक-मंगल सिंह तिरिया पिता-स्व० सीरम तिरिया ग्राम-जेटेया पोस्ट-जेटेया थाना-नोवामुण्डी प्रखण्ड-नोवामुण्डी लिंग-पुरुष	चाईबासा (सदर) थाना काण्ड सं०- 43/95 जी०आर० सं०-270/95 एस०टी० 359/96	नहीं	कारण-दिनांक-02.06.1995 को सरकारी कर्मचारियों से रंगदारी टैक्स मांगने का आरोप। धारा-147,148/384 भा०द०वि० जेल की अवधि-16 दिन	
4	आवेदक-तेनसिंह बोयपाई पिता-विजय सिंह बोयपाई ग्राम-बड़ा कुंदरीजोर पोस्ट-जेटेया थाना-जेटेया प्रखण्ड-नोवामुण्डी लिंग-पुरुष	चाईबासा (सदर) थाना काण्ड सं०- 43/95 जी०आर० सं०-270/95 एस०टी० 359/96	नहीं	कारण-दिनांक-02.06.1995 को सरकारी कर्मचारियों से रंगदारी टैक्स मांगने का आरोप। धारा-147,148/384 भा०द०वि० 120(बी०) भा०द०वि० जेल की अवधि-05 दिन	
5	आवेदक- रामेश्वर लोहार पिता- मारकान्डे लोहार ग्राम-बान्दा रांगरूई पोस्ट- शारदा थाना-चाईबासा मु० प्रखण्ड-खुँटपानी लिंग-पुरुष	चाईबासा (मु०) थाना काण्ड सं०-73/89 जी०आर० सं०-263/89	नहीं	कारण-दिनांक 22.04.1989 को आजसू कार्यकर्ताओं द्वारा नाजायज मजमा लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-148/149/353/307 भा०द०वि०	

6	आवेदक-सोनाराम अंगरिया पिता-स्व० विजय अंगरिया ग्राम-बुन्डू पोस्ट-जेटेया थाना-टोन्टो प्रखण्ड-टोन्टो लिंग-पुरुष	गुवा थाना काण्ड सं०-09/80 एस०टी० सं०-54/82	नहीं	कारण:- दि० 08.09.1980 को नाजायज मजमा बनाकर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147/148/149 भा०द०वि०	
7	आवेदक-शंभू महतो पिता-स्व० विभूति महतो ग्राम-बाउरीसाई पोस्ट-कराईकेला थाना- कराईकेला प्रखण्ड-बंदगाँव लिंग-पुरुष	कराईकेला थाना काण्ड सं०-01/88	पृ०सं०-19 क्र०-69(5)	कारण:-नकटी बाजार में विधि-व्यवस्था हेतु तैनात आरक्षियों से मारपीट करने का आरोप धारा-147/148/149 भा०द०वि	
8	आवेदक-भीमसेन नाग पिता-स्व० लखीराम नाग ग्राम- हुड़ागदा पोस्ट-कराईकेला थाना- कराईकेला प्रखण्ड-बंदगाँव लिंग-पुरुष	कराईकेला थाना काण्ड सं०-01/88	पृ०सं०-19 क्र०-69 (15)	कारण:-नकटी बाजार में विधि-व्यवस्था हेतु तैनात आरक्षियों से मारपीट करने का आरोप धारा-147/148/149 भा०द०वि	
9	आवेदक-विश्वामित्र होनहागा पिता-स्व० कुँवार सिंह होनहागा ग्राम-वैगटांगर पोस्ट-कराईकेला थाना-कराईकेला प्रखण्ड-बंदगाँव लिंग-पुरुष	कराईकेला थाना काण्ड सं०-13/89	पृ०सं०-20 क्र०-70(5)	कारण:-नाजायज मजमा बनाकर सरकारी पेड़ को काटकर ले जाने का आरोप धारा-144, 379 भा०द०वि०	
10	आवेदक-भीम बोदरा पिता-स्व० मोहन सिंह बोदरा ग्राम-वैगटांगर पोस्ट-ओटर थाना-कराईकेला प्रखण्ड-बंदगाँव लिंग-पुरुष	कराईकेला थाना काण्ड सं०-13/89	पृ०सं०- 20 क्र०-70 (5)	कारण:-नाजायज मजमा बनाकर सरकारी पेड़ को काटकर ले जाने का आरोप धारा-144, 379 भा०द०वि०	

11	आवेदक-सुनिया होनहागा पिता-स्व० जुगी होनहागा ग्राम-वैगटांगर पोस्ट-कराईकेला थाना-कराईकेला प्रखण्ड-बंदगाँव लिंग-पुरुष	कराईकेला थाना काण्ड सं०-13/89	पृ०सं०- 20 क्र०-70 (4)	कारण:-नाजायज मजमा बनाकर सरकारी पेड़ को काटकर ले जाने का आरोप धारा-144, 379 भा०द०वि०	
12	आवेदक-सेलाय होनहागा पिता-स्व० सदन होनहागा ग्राम-वैगटांगर पोस्ट-कराईकेला थाना-कराईकेला प्रखण्ड-बंदगाँव लिंग-पुरुष	कराईकेला थाना काण्ड सं०-13/89	पृ०सं०-20 क्र०-70 (4)	कारण:-नाजायज मजमा बनाकर सरकारी पेड़ को काटकर ले जाने का आरोप धारा-144, 379 भा०द०वि०	
13	आवेदक-जेना होनहागा पिता-स्व० राकाल होनहागा ग्राम-वैगटांगर पोस्ट-कराईकेला थाना- कराईकेला प्रखण्ड-बंदगाँव लिंग-पुरुष	कराईकेला थाना काण्ड सं०-13/89	पृ०सं०-20 क्र०-70 (5)	कारण:-नाजायज मजमा बनाकर सरकारी पेड़ को काटकर ले जाने का आरोप धारा-144, 379 भा०द०वि०	
14	आवेदक-कृष्णा बोयपाई पिता-स्व० गोनो बोयपाई ग्राम-बड़ा कुंदरीजोर पोस्ट-जेटेया थाना-जेटेया प्रखण्ड-नोवामुण्डी लिंग-पुरुष	चाईबासा (सदर) थाना काण्ड सं०- 43/95 जी०आर० सं०-270/95	नहीं	कारण:- दिनांक- 02.06.1995 को सरकारी कर्मचारियों से रंगदारी टैक्स मांगने का आरोप। धारा-147,148/384 भा०द०वि० 120(बी०) भा०द०वि०	
15	आवेदक-मो० अजाज खान पिता- अलिदाद खान ग्राम-बाराबाजार पोस्ट-चाईबासा थाना-सदर चाईबासा प्रखण्ड-सदर ब्लाक लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण:-अलग झारखण्ड राज्य से संबंधित हैण्डविल के आधार पर	

16	आवेदक-नवाज हु सैन पिता-स्व० दौलत हु सैन ग्राम-जगन्नाथपुर पोस्ट- जगन्नाथपुर थाना- जगन्नाथपुर प्रखण्ड-जगन्नाथपुर लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण:-सरकारी कागजात के अनुसार आजसू पार्टी के सदस्य रहे हैं।	
17	आवेदक-सुहैल अहमद पिता-स्व० मो० मुस्तफा ग्राम-जगन्नाथपुर पोस्ट- जगन्नाथपुर थाना- जगन्नाथपुर प्रखण्ड-जगन्नाथपुर लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण:-सरकारी कागजात के अनुसार आजसू पार्टी के सदस्य रहे हैं।	
18	आवेदक-साहिद आलम पिता-कमालउद्दीन ग्राम-जगन्नाथपुर पोस्ट- जगन्नाथपुर थाना- जगन्नाथपुर प्रखण्ड-जगन्नाथपुर लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण:-सरकारी कागजात के अनुसार आजसू पार्टी के सदस्य रहे हैं।	
19	आवेदक-थोमस भुईयाँ पिता-स्व० दयाधाम भुईया ग्राम-कतिंगकेल पोस्ट-गोइलकेरा थाना-गोइलकेरा प्रखण्ड-गोइलकेरा लिंग-पुरुष	नहीं	नहीं	कारण:- अनुज कुमार सिन्हा द्वारा लिखित पुस्तक "झारखण्ड आन्दोलन के दस्तावेज" के पृष्ठ 295 में नाम अंकित है।	

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

3 नवंबर 2023

विषय:- दिनांक-02.04.2018 को राष्ट्रीय स्तर SC & ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम कानून में संशोधन के विरुद्ध किये गये भारत बंद के दौरान श्री संजय महली, रूपा कुजूर उर्फ रूपा कुमारी, सुमन्ती टुडू उर्फ सुमति कुमारी एवं सुरली टुडू उर्फ सुरवाली टुडू के विरुद्ध दर्ज लालपुर थाना कांड संख्या-121/2018 की वापसी के संबंध में ।

संख्या-5123--एस० टी० संख्या-511/2018 लालपुर थाना कांड संख्या-121/2018, दिनांक-02.04.2018 के अभियुक्तों - (i) संजय महली (ii) सुमन्ती टुडू उर्फ सुमति कुमारी (iii) रूपा कुजूर उर्फ रूपा कुमारी (iv) सुरली टुडू उर्फ सुरवाली टुडू के विरुद्ध धारा-147, 148, 149, 325/149, 307/149, 353/149, 337/149, 338/149, 341/149 भा०द०वि० में आरोप गठित किया गया है ।

2. उक्त वाद राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम कानून में संशोधन के विरुद्ध भारत बंद के आह्वान से संबंधित है ।
3. उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची (विधि शाखा) के पत्र संख्या-157(i)/विधि, दिनांक-01.08.2023 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्राप्त सूचनानुसार वर्णित सभी 04 अभियुक्त वर्तमान में छात्र/छात्रा हैं और सभी शिक्षारत् हैं। केस डायरी में उक्त सभी के विरुद्ध पूर्व का कोई भी अपराधिक इतिहास अंकित नहीं है ।
4. उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची के द्वारा छात्र/छात्राओं के उज्जवल भविष्य को देखते हुए उक्त चारों अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कांड की वापसी की अनुशंसा करते हुए विभाग स्तर से आरोप वापसी की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है ।
5. लालपुर थाना कांड संख्या-121/2018, दिनांक-02.04.2018 के अभियुक्तों (i) संजय महली (ii) सुमन्ती टुडू उर्फ सुमति कुमारी (iii) रूपा कुजूर उर्फ रूपा कुमारी (iv) सुरली टुडू उर्फ सुरवाली टुडू के विरुद्ध धारा-147, 148, 149, 325/149, 307/149, 353/149, 337/149, 338/149, 341/149 भा०द०वि० में गठित आरोप को वापस करने के प्रस्ताव पर दिनांक-18.10.2023 के मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-7 में स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

6. वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में लालपुर थाना कांड संख्या-121/18, दिनांक-02.04.2018, एस० टी० संख्या-511/18 के प्रत्याहरित किया जाता है। तदनुसार उपायुक्त, राँची अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

7 नवम्बर, 2023

संख्या-13/आई०पी०एस०-101/2019-5211--श्री अजय कुमार सिंह, भा०पु०से०, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-29.12.2023 से 02.01.2024 तक कुल-05 (पाँच) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही, उन्हें उक्त अवधि में अपने निजी व्यय पर निजी प्रयोजन हेतु विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

7 नवम्बर, 2023

संख्या-08/विविध (01)-19/2023-6234--चुँकि झारखण्ड राज्यपाल निम्न अनुसूची में वर्णित स्थानों में ध्वंसात्मक कार्यों को निवारित करने या दबाने और लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए यह आवश्यक एवं समीचीन समझते हैं कि अप्राधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकने के निमित्त विशेष पूर्वावधानी बरती जाय,

इसलिए, अब बिहार (सहपठित झारखण्ड) राज्य संरक्षित स्थान अधिनियम, 1979 (बिहार अधिनियम 1979) की धारा-3, उपधारा-1 के द्वारा अतिसंवेदनशील स्थल के अंतर्गत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के रिपीटर-सह-कैथोडी संरक्षण (आर०सी०पी०) और सेक्शन लाईजिंग मोटर संचालित वाल्व (एम०ओ०वी०) स्टेशन, मौजा-लचडागढ़, थाना सं०-81, खाता नं०-138, प्लॉट नं०-1471, रकबा-3.10 एकड़ अंचल-कोलेबिरा, जिला-सिमडेगा स्थित परिसर के निम्न अनुसूची में वर्णित स्थानों के अंतर्गत कुल-3.10 एकड़ भूमि को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है:-

संरचना का नाम	मौजा का नाम एवं पता	खाता सं०	प्लॉट सं०	कुल रकबा (क्षेत्रफल एकड़ में)	चौहद्दी
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिपीटर-सह-कैथोडी संरक्षण (आर०सी०पी०) और सेक्शन लाईजिंग मोटर संचालित वाल्व (एम०ओ०वी०) स्टेशन।	मौजा-लचडागढ़, थाना सं०-81, अंचल-कोलेबिरा, जिला-सिमडेगा	138	1471	3.10	उत्तर-इसी प्लॉट पर 10 फीट का पी०सी०सी० पथ दक्षिण-इसी प्लॉट का शेष अंश पूर्व-प्लॉट सं०-1451 पश्चिम-इसी प्लॉट का शेष अंश

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूनम प्रभा पूर्ति,
सरकार के अपर सचिव ।

HOME, PRISON & DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification 7th November, 2023

N0.-08/Vividh(01)-19/2023-6234--Whereas the Governor of Jharkhand considers it necessary and expedient that for the maintenance of the public order and for prevention of preventing of suppressing subversive acts, special precautions should be taken to prevent the entry of unauthorized persons into the places described in the Schedule given below.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section-3(1) of the Bihar (read with Jharkhand) Protected Place Act, 1979 (Bihar Act I of 1979), the Governor of Jharkhand is pleased to declare the highly sensitive places *under Indian Oil Corporation Limited, Repeater-cum-Cathodic Protection (R.C.P) and Sectionalising Motor Operated Valve (M.O.V) Station, Mauja-Lachragarh , Thana No-81, Plot No.-1471, Anchal-Kolobira, District-Simdega Total Area-3.10 Acres* described in the Schedule below to be protected places for purpose of the said Act:-

Name of the Plant Structure	Mouza Name & No.	Khata No.	Plot No.	Kul Rakaba (Area in Acre)	Chauhaddi (Surroundings)
Indian Oil Corporation Limited, Repeater-cum-Cathodic Protection (R.C.P) and Sectionalising Motor Operated Valve (M.O.V) Station	Mauja-Lachragarh , Thana No-81, Plot No.-1471, Anchal-Kolobira, District-Simdega	138	1471	3.10	North -10ft. PCC Road At this plot South -Rest Part of this Plot East -Plot No.-1451 West -Rest Part of this Plot

By Order of Governor of Jharkhand,

Punam Prabha Purty,
Addittional Secretary to the Government.

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

9 नवम्बर, 2023

संख्या-14/आ0-124/2015-5302--श्री निर्मल कुमार मिश्रा, भा०पु०से०, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, दुमका सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए विभागीय ज्ञापन संख्या-7346, दिनांक-08.12.2015 के परिशिष्ट-'क' के आधार पर गठित "लोक सभा चुनाव-2014 के दौरान दिनांक-24.04.2014 को दुमका जिला के शिकारीपाड़ा थानान्तर्गत घटित उग्रवादी घटना के लिए कर्तव्य की उपेक्षा, लापरवाही तथा आदेश की अवहेलना का " आरोप, प्रथम द्रष्टया सत्य पाया गया ।

2. उपरोक्त आरोप के जाँच के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या-639, दिनांक-04.02.2016 के द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति की गई ।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-281/गो0, दिनांक-19.12.2016 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री निर्मल कुमार मिश्रा, भा०पु०से० के विरुद्ध अधिरोपित कुल 05 (पाँच) आरोपों में से 03 (तीन) आरोपों को अप्रमाणित एवं 02 (दो) आरोपों को आंशिक प्रमाणित पाया गया ।

अतः समयक् विचारोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए श्री निर्मल कुमार मिश्रा, भा०पु०से०, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, दुमका सम्प्रति सेवानिवृति को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही का निस्तार किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

16 जून, 2022

संख्या-10/विविध-1011/2018 (खण्ड-I)-2401--विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 एवं 1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है ।

2. आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त संपुष्ट सूचियों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आन्दोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक-10.08.2015, 5275, दिनांक-22.09.2017, 3840, दिनांक-11.07.2018, 1166, दिनांक- 28.02.2019, एवं 4987, दिनांक-18.09.2019 द्वारा अधिसूचित किया गया ।

3. उक्त विभागीय अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारियों के **आश्रितों का लाभ देने संबंधी** प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के पत्रांक-3846, दिनांक-02.02.2022 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संलग्न सूची के अनुसार चिन्हित आंदोलनकारियों के आश्रितों का लाभ देने पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर से सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन का उसके अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके।

6. संलग्न सूची के अनुसार चिन्हित आश्रित को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 की तिथि से देय होगा तथा इससे पूर्व की अवधि के लिए यह दिनांक-01.08.2015 अथवा आन्दोलनकारी की मृत्यु जो बाद में हो, की तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

अधिसूचना संख्या-10/विविध-1011/2018 (खण्ड-I)-2401--गृह विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-2008 (खण्ड-III)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों/आश्रितों की सूची:-

क्र०	नाम एवं पता	पूर्व का वर्गीकरण	आश्रित को लाभ देने का आधार	संकल्प सं.-1938 दिनांक-20.04.21 के तहत वर्तमान का वर्गीकरण
1	मसो. मीना देवी, पति- स्व. सुरेश कुमार स्नेही उर्फ सुरेश राम (मूल आंदोलनकारी) ग्राम +पो.-कोलेबिरा, जिला - सिमडेगा	अधिसूचना सं.- 5275, दि.- 22.09.17 द्वारा अधिसूचित	अंचल अधिकारी, कोलेबिरा का पत्रांक-814 ;पपद्ध/रा., दिनांक-28.10.2021 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर।	कण्डिका-2 (VIII) (a) (आश्रित पत्नी) (मसो० मीना देवी)

		आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) सिमडेगा जिला क्रमांक-01		
2	मसो. छाया बहाड़ा, पति- स्व. मलय कुमार दास (मूल आंदोलनकारी) ग्राम - नारातला (मसानजोर) पोस्ट - मसानजोर, थाना - दुमका (मु.) प्रखण्ड- दुमका (सदर) जिला - दुमका	अधिसूचना सं.- 4920 दि.- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) दुमका जिला क्रमांक-181	अंचल अधिकारी, सदर दुमका का पत्रांक-1010 /रा., दिनांक- 08.10.2021 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर।	कण्डिका-2 (VIII) (a) (आश्रित पत्नी) (मसो० छाया बहाड़ा)
3	मसो. पार्वती देवी पति- स्व. कुंजलाल साव (मूल आंदोलनकारी) ग्राम - चेडरा, थाना +प्रखण्ड- विष्णुगढ़ जिला - हजारीबाग	अधिसूचना सं.- 3840, दि.- 11.07.18 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) हजारीबाग जिला क्रमांक- 05	अंचल अधिकारी, विष्णुगढ़ हजारीबाग का पत्रांक-778 दिनांक-22.10.2021 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर।	कण्डिका-2 (VIII) (a) (आश्रित पत्नी) (मसो० पार्वती देवी)
4	मसो. सोनामुनी मरणडी) पति- स्व. रसीक लाल किस्कू (मूल आंदोलनकारी) ग्राम - सिजुआ, पोस्ट - भदरिया, प्रखण्ड - बोआरीजोरा, जिला - गोड्डा	अधिसूचना सं.- 4920 दि.- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) गोड्डा जिला क्रमांक-13	अंचल अधिकारी, बोआरीजोरा, गोड्डा का पत्रांक-141 /रा., दिनांक-06.03.2020 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर।	कण्डिका-2 (VIII) (a) (आश्रित पत्नी) (मसो० सोनामुनी मरणडी)

5	मसो. विलासो उराँव, पति- स्व. लिलकु उराँव (मूल आंदोलनकारी) ग्राम - विश्रामगढ़ पोस्ट - ओपा थाना +प्रखण्ड- कुड़ जिला - लोहरदगा	अधिसूचना सं.-1166, दि.-28.02.19 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) लोहरदगा जिला क्रमांक- 08	अंचल अधिकारी कुड़ का पत्रांक-429, दिनांक- 17.07.2020 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर आश्रित नामित किया गया।	कण्डिका-2 (VIII) (a) (आश्रित पत्नी) (मसो. विलासो उराँव)
6	मसो. माल्हो मार्ली पिता- स्व. टिबरू मार्ली (मूल आंदोलनकारी) ग्राम - दुधपोसी, पोस्ट - रावताड़ा थाना +प्रखण्ड- धालभूमगढ़ जिला - पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं.-4920 दि.- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) पूर्वी सिंहभूम जिला क्रमांक- 138 अधि० सं०- 373, दिनांक- 17.01.2019 द्वारा कंडिका सुधार कर कंडिका-3 (ख) किया गया। (क्र०-44)	अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ पूर्वी सिंहभूम का पत्रांक-831, दिनांक-10.12.2021 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर आश्रित नामित किया गया।	कण्डिका-2 (VIII) (c) (आश्रित पत्नी) (मसो. माल्हो मार्ली)

7	श्री अजित कुमार सिंह, पति-स्व. लक्ष्मी नारायण सिंह, (मूल आंदोलनकारी) ग्राम -लोवापीडी, पोस्ट /थाना/प्रखण्ड- सिल्ली, जिला - राँची	अधिसूचना सं.-4987 दि.- 18.09.19 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) राँची जिला क्रमांक-08	अंचल अधिकारी, सिल्ली का पत्रांक-691;पपद्ध/रा., दिनांक- 30.12.2021 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर आश्रित नामित किया गया।	कण्डिका-2 (VIII) (a) (आश्रित पुत्र) (श्री अजित कुमार सिंह)
8	मसो. मालती देवी पति- स्व. रामप्रसाद तुरी, (मूल आंदोलनकारी) ग्राम +पोस्ट - दामोदरपुर, थाना +प्रखण्ड+जिला- धनबाद।	अधिसूचना सं.-1166 दि.- 28.02.19 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) धनबाद जिला क्रमांक-13	अंचल अधिकारी, सदर धनबाद का पत्रांक-23 दिनांक-10.01.2022 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर आश्रित नामित किया गया।	कण्डिका-2 (VIII) (a) (आश्रित पत्नी) (मसो. मालती देवी)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

29 जुलाई, 2022

संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-III)-3083--विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 एवं 1938, दिनांक- 20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सम्मानित करने एवं सम्मान पेंशन तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है ।

2. आंदोलनकारियों/आश्रितों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक-10.08.2015 एवं 5275 दिनांक-22.09.2017 द्वारा अधिसूचित किया गया ।

3. उक्त विभागीय अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारियों/आश्रितों का कंडिका सुधार संबंधी प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के पत्रांक-4295, दिनांक-14.06.2022 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संलग्न सूची के अनुसार चिन्हित आंदोलनकारियों/आश्रितों की कंडिका सुधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों/आश्रितों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी श्रेणी के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी ।

क्र०	नाम एवं पता	पूर्व का वर्गीकरण	आश्रित को लाभ देने का आधार	संकल्प सं.- 1938 दिनांक- 20.04.21 के तहत वर्तमान का वर्गीकरण
1	श्री अतुल प्रसाद सिंह पिता- स्व. महावीर प्रसाद सिंह, ग्राम - गोलमारा, पोस्ट -परघा, थाना -बलियापुर जिला - धनबाद	अधिसूचना सं.- 4920, दि.- 10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-85	झारखण्ड बंद की अवधि का एम.पी. वाद संख्या-479/93 से संबंधित सत्यापित कारा प्रमाण पत्र के आधार पर। धारा-107 द.प्र.स. जेल अवधि-17 दिन।	कण्डिका- 2 (VIII) (a)

2	श्री सुबेश्वर महतो पति- लालधारी महतो, ग्राम- बोंगाहारा, पोस्ट -हेसागढा, थाना -माण्डू, जिला - रामगढ़	अधिसूचना सं.-5275, दि.- 22.09.2017 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-34	झारखण्ड बंद की अवधि का रामगढ़ वाद संख्या-277/98 से संबंधित सत्यापित कारा प्रमाण पत्र के आधार पर। धारा-107 द.प्र.स. जेल अवधि-02 दिन।	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
3	श्री राजकुमार महतो, पिता- विगु महतो, ग्राम - बोंगाहारा, पोस्ट -हेसागढा, थाना-माण्डू, जिला -रामगढ़	अधिसूचना सं.-5275, दि.- 22.09.2017 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-35	झारखण्ड बंद की अवधि का रामगढ़ वाद संख्या-277/98 से संबंधित सत्यापित कारा प्रमाण पत्र के आधार पर। धारा-107 द.प्र.स. जेल अवधि-02 दिन।	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
4	श्री बुधमान उराँव पिता- स्व० जोखना उराँव, ग्राम - हुटाप नाथपुर, पोस्ट - तिसिया, थाना -किस्को, जिला -लोहरदगा	अधिसूचना सं.- 4920, दि.- 10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-29	झारखण्ड बंद की अवधि का लोहरदगा वाद संख्या-455/ 89 से संबंधित सत्यापित कारा प्रमाण पत्र के आधार पर। धारा-107 द.प्र.स. जेल अवधि-02 दिन।	कण्डिका- 2 (VIII) (a)

5	श्री लक्ष्मीकांत महतो पिता- स्व. सागर महतो, ग्राम - कोकाडीह, पोस्ट -रूगडी, थाना -तमाड़, जिला -राँची	अधिसूचना सं.-5275, दि.- 22.09.2017 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-45	झारखण्ड बंद की अवधि का खूँटी वाद संख्या-377/91 से संबंधित सत्यापित कारा प्रमाण पत्र के आधार पर। धारा-107 द.प्र.स. जेल अवधि-03 दिन।	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
6	श्री भुनेश्वर महतो पिता- स्व. देवचंद महतो, ग्राम - पावापुर, पोस्ट -सिंगडीह, थाना-हरिहरपुर, जिला -धनबाद	अधिसूचना सं.-4920, दि.- 10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-78	एस.टी.संख्या-281/93 से संबंधित न्यायालय अभिप्रमाणित प्रति के आधार पर। धारा-395 भा.द.वि. जेल अवधि-03 दिन।	कण्डिका- 2 (VIII) (a)

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी/आश्रित की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा ।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी/आश्रित को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके ।

6. संलग्न सूची के अनुसार संशोधित कंडिका वाले आंदोलनकारियों को विभागीय संकल्प सं-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 की तिथि से देय होगा तथा इससे पूर्व की अवधि के लिए विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 के प्रावधानानुसार सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-01.08.2015 की तिथि से देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना
29 जुलाई, 2022

संख्या-10/विविध-1015/2018-3067--विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 एवं 1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है ।

2. आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए **अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक-10.08.2015, 5275, दिनांक-22.09.2017 एवं 4987, दि.-18.09.2019** द्वारा अधिसूचित किया गया ।

3. उक्त विभागीय अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारियों का कंडिका सुधार संबंधी प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के **पत्रांक-4129, दिनांक-20.04.2022** द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदनों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संलग्न सूची के अनुसार चिन्हित आंदोलनकारियों की कंडिका सुधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर से सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन का उसके अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा ।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके।

6. संलग्न सूची के अनुसार संशोधित कंडिका वाले आंदोलनकारियों को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 की तिथि से देय होगा तथा इससे पूर्व की अवधि के लिए यह दिनांक-01.08.2015 की तिथि से प्रभावी होगा।

7. संलग्न सूची के क्रम-7, 10, 12, 14 एवं 15 में अंकित आंदोलनकारी के आश्रित को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 की तिथि से देय होगा तथा इससे पूर्व की अवधि के लिए यह दिनांक-01.08.2015 अथवा आन्दोलनकारी की मृत्यु जो बाद में हो, की तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

अधिसूचना

28 जुलाई, 2022

अधिसूचना संख्या-10/विविध-1015/2018-3067--गृह विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-III)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

क्र०	नाम एवं पता	पूर्व का वर्गीकरण	आश्रित को लाभ देने का आधार	संकल्प सं०-1938 दिनांक-20.04.21 के तहत वर्तमान का वर्गीकरण
1	श्री बबलू दास पिता- स्व. काशीनाथ दास ग्राम - डोमजुडी पोस्ट -नरुवा पहाड़ थाना - जादूगोडा जिला - पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं०-4920, दि०-10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) जिला सूची क्रमांक-106	टेलको (गोविन्दपुर) थाना प्राथमिकी सं०-195/89 का सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र जेल की अवधि-04 माह 08 दिन	कण्डिका-2 (VIII) (a)

2	श्री शेख रमिजुद्दिन उर्फ शेख रमिजुद्दिन पिता- शेख कबीर अहमद उर्फ स्व.-कबीर मो. ग्राम -जुगिशोल पोस्ट - पाण्डूवा थाना - धालभूमगढ़ जिला - पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं.-4920, दि.- 10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-131	झारखण्ड आंदोलनकारी से संबंधित घाटशिला अनु. दण्डा. वाद सं.-70/93 का सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र जेल की अवधि-03 माह दिन-04	कण्डिका-2 (VIII) (a)
3	श्री नरसिंह मुर्मू पिता- सुखु मुर्मू ग्राम - सिमलगड़ा पोस्ट - चापुडिया थाना - पालोजोरी जिला - देवघर	अधिसूचना सं.-4987 दि.- 18.09.19 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-04	दुमका नगर थाना अप्राथ. सं.- 41/93 से संबंधित सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र जेल की अवधि-14 दिन	कण्डिका-2 (VIII) (a)
4	श्री अरविन्द भगत पिता- मदन भगत ग्राम - पिस्का नगड़ी पोस्ट - नगड़ी थाना - नगड़ी जिला - राँची	अधिसूचना सं.-4987 दि.- 18.09.19 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-17	वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन में अरविन्द भगत को रातू थाना कांड सं.- 31/92 में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का उल्लेख है। जेल की अवधि-01 दिन (न्यूनतम)	कण्डिका-2 (VIII) (a)

5	श्री तोआब अंसारी उर्फ मो.तोआफी पिता- किस्मत अली ग्राम - बाघमारा पोस्ट - बाघमारा थाना - बोआरीजोर जिला - गोड्डा	अधिसूचना सं.-5275 दि.- 22.09.17 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-04	पत्थरगामा थाना प्राथ. सं.- 95/89 का सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र जेल की अवधि-03 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
6	श्री सुरेश प्रसाद महतो पिता- स्व. द्वारिका प्रसाद महतो ग्राम - चिरुडीह, पोस्ट - तांतरी थाना - तोपचाँची जिला - धनबाद	अधिसूचना सं.-4920 दि.- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-70	झारखण्ड आंदोलन से संबंधित धनबाद अनु. दण्डा. एमपी वाद सं.-590/92 का सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र जेल की अवधि-02 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
7	श्रीमति ठाकुर मुनी मेझियान (आश्रित पत्नी) पति- स्व. शिबलाल मांझी (मूल आंदोलनकारी) ग्राम -खराइडीह पोस्ट -पंचेत थाना - पंचेत जिला - धनबाद	अधिसूचना सं.-5275 दि.- 22.09.17 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-44	पंचेत थाना अप्राथ. सं.-16/93 एवं 17/93 से संबंधित न्यायालय वाद सं. एम.पी. केस नं. 1718/93 के आदेश पत्रक के आधार पर जेल की अवधि-01 दिन (न्यूनतम)	कण्डिका- 2 (VIII) (a)

8	श्री दिलीप पुर्ती उर्फ दिलीप कुमार पुर्ती पिता- स्व. माछुवा पुर्ती ग्राम -जोंको पोस्ट - नकटी थाना - कराईकेला जिला - पश्चिमी सिंहभूम	अधिसूचना सं.-4987 दि.- 18.09.19 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-09	बंदगाँव थाना सं.-92/89 जी.आर. सं-395/89 से संबंधित न्यायालय आदेश पत्रक के आधार पर जेल की अवधि-02 माह 10 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
9	श्री मानसिंह गागराई पिता-स्व. सालुका गागराई ग्राम - इन्दुवां पोस्ट - नकटी थाना - काराईकेला जिला - पश्चिमी सिंहभूम	अधिसूचना सं.-4987 दि.- 18.09.19 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-10	बंदगाँव थाना सं.-92/89 जी.आर. सं-395/89 से संबंधित न्यायालय आदेश पत्रक के आधार पर जेल की अवधि-01 माह 25 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
10	श्रीमति सरोजमुनी मुर्मू (आश्रित) पति- स्व. जयपाल मुर्मू (आंदोलनकारी) ग्राम - न्यू कॉलोनी, डुंगरीडीह पोस्ट - मुसाबनी थाना - मुसाबनी जिला - पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं.-4920 दि.- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-95	झारखण्ड आंदोलन से संबंधित मुसाबनी थाना कांड सं.-23/93 जी.आर.सं.-163/93 से संबंधित न्यायालय आदेश पत्रक के आधार पर जेल की अवधि-02 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)

11	श्री पिरू मार्ली पिता-स्व. गोमा मार्ली ग्राम - लाईनडीह पोस्ट - मुसाबनी थाना - मुसाबनी जिला - पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं.-4920 दि.- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-107	मुसाबनी थाना कांड सं.-30/89 से संबंधित न्यायालय आदेश पत्रक के आधार पर जेल की अवधि-01 दिन (न्यूनतम)	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
12	श्री अनतू हाँसदा (आश्रित) पिता- स्व. दुला हाँसदा (आंदोलनकारी) ग्राम - पाथरगोड़ा पोस्ट - मुसाबनी थाना - मुसाबनी जिला - पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं.-4920 दि.- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-108	मुसाबनी थाना कांड सं.-30/89 एवं 31/89 से संबंधित न्यायालय आदेश पत्रक के आधार पर जेल की अवधि-08 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
13	श्री सुराई सरेन पिता- स्व. फुदान सरेन ग्राम - चडकमारा पोस्ट - गुहियापाल थाना - बहरागोड़ा जिला - पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं.-5275, दि.- 22.09.2017 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-37	झारखण्ड आंदोलन से संबंधित घाटशिला अनु. दण्डा. वाद सं.- 81/93 का सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र जेल की अवधि-01 माह 16 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)

14	श्रीमति मंगली सोरेन (आश्रित पत्नी) पति- स्व. अर्जून सोरेन (मूल आंदोलनकारी) ग्राम -लाटिया टोला डुंगरीडीह पोस्ट - बादेया थाना - मुसाबनी जिला - पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं.-5275, दि.- 22.09.2017 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-72	मुसाबनी थाना कांड सं.-31/89 से संबंधित न्यायालय आदेश पत्रक के आधार पर जेल की अवधि-06 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
15	श्री भोगान टुडू (आश्रित पुत्र) पिता- स्व. जयराम टुडू (आंदोलनकारी) ग्राम - चाकडी पोस्ट - बड़ा बोतला थाना - डुमरिया जिला - पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं.-5275, दि.- 22.09.2017 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-62	डुमरिया थाना कांड सं.-18/87 से संबंधित सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र जेल की अवधि-24 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

8 अगस्त, 2023

संख्या-03/नि०सं०-09-34/2014 का० 4576--श्री कमलाकान्त गुप्ता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 854/03), अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था, धनबाद को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत 200 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य दिनांक-07.12.2022 से 16.03.2023 तक कुल 100 दिनों का रूपांतरित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 234 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

22 अगस्त, 2023

संख्या-3/नि०सं०-09-19/2016 का० 4791--श्री योगेन्द्र प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-48/20), विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, धनबाद का दिनांक 22.04.2023 से 09.05.2023 तक (कुल 18 दिन) अवकाश की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है:-

- (i) दिनांक 22.04.2023 एवं 23.04.2023 को (02 - सार्वजनिक अवकाश एवं रविवारीय अवकाश
दिन) उपभोग ।
- (ii) दिनांक 24.04.2023 से 09.05.2023 तक (16 - उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के
दिन) नियम 227, 230 एवं 248 के तहत ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SUPRIYA BHARTI अन्य नाम FULAN KUMARI पति NIRAJ KUMAR, शपथ पत्र सं० 206, दिनांक 29 अगस्त, 2023 के अनुसार SUPRIYA BHARTI के नाम से जानी जाऊँगी।

SUPRIYA BHARTI एवं FULAN KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - KRISHNAPURI CHUTIA,
P.S. - CHUTIA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, POONAM अन्य नाम POONAM SINGH पति RAJ KUMAR SINGH, शपथ पत्र सं० 1743, दिनांक 17 अगस्त, 2023 के अनुसार POONAM के नाम से जानी जाऊँगी।

POONAM एवं POONAM SINGH दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - SECTOR - 2/D,
QTR. NO. - 3-061,
P.O. & P.S. - B. S. CITY,
DIST. - BOKARO,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, GOVIND SINGH अन्य नाम GOVINDER SINGH पिता VISHWANATH SINGH, शपथ पत्र सं० 206, दिनांक 7 अगस्त, 2023 के अनुसार GOVIND SINGH के नाम से जाना जाऊंगा ।

GOVIND SINGH एवं GOVINDER SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - KUNWAR SINGH COLONY, CHAS,
P.O. & P.S. - CHAS,
DIST. - BOKARO,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SABITA DEVI अन्य नाम SAVITRI DEVI पति Late BAJRANGI NISHAD, पिता Late CHAMARI NISHAD, शपथ पत्र सं० 08, दिनांक 3 अगस्त, 2023 के अनुसार SABITA DEVI के नाम से जानी जाऊंगी ।

SABITA DEVI एवं SAVITRI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. & P.O. - KOKCHO,
P.S. - MANJHARI,
DIST. - PASHCHIMI SINGHBHUM,
PIN - 833201
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, KUMAR KESHAV PRATAP SINGH अन्य नाम K. KESHORE PRATAP SINGH पिता TARUN KUMAR SINGH, शपथ पत्र सं० 3254, दिनांक 2 अगस्त, 2023 के अनुसार KUMAR KESHAV PRATAP SINGH के नाम से जाना जाऊँगा।

KUMAR KESHAV PRATAP SINGH एवं K. KESHORE PRATAP SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - SCHOOL BALIDIH,
P.O. & P.S. - BALIDIH,
DIST. - BOKARO,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BABLU SINGH, RAJVEER SINGH (अन्य नाम RAMAN KUMAR) का पिता, शपथ पत्र सं० 700, दिनांक 9 अगस्त, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र RAJVEER SINGH (जन्म तिथि - 31 जनवरी, 2008) के नाम से जाना जायेगा।

RAJVEER SINGH एवं RAMAN KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - TIRIL ROAD, NEAR ADARSH VIDYA MANDIR,
KOKAR, BARIATU RANCHI,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SWASTIK SHUKLA अन्य नाम SWASTIK पिता SRI AJIT KUMAR SHUKLA, शपथ पत्र सं० 1184, दिनांक 14 जुलाई, 2023 के अनुसार SWASTIK SHUKLA के नाम से जाना जाऊंगा ।

SWASTIK SHUKLA एवं SWASTIK दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - JORA TALAB ROAD BARIATU,
RANCHI,
PIN - 834009
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SURAJ KUMAR SINGH, CHANDANI KUMARI (अन्य नाम SIDHI RANI) का पिता, शपथ पत्र सं० 8431, दिनांक 12 जुलाई, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री CHANDANI KUMARI के नाम से जानी जायेगी ।

CHANDANI KUMARI एवं SIDHI RANI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - SIDHU,
P.O. - MOKTAMA,
P.S. - RAJPUR,
DIST. - CHATRA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ANANYA DUBEY अन्य नाम ANNU KUMARI पति SAURABH, पिता ARUN KUMAR, शपथ पत्र सं० 32, दिनांक 21 जनवरी, 2023 के अनुसार ANANYA DUBEY के नाम से जानी जाऊँगी।

ANANYA DUBEY एवं ANNU KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - HOUSE NO. - 03,
JANPATH ROAD 02,
SHUKLA COLONY, HINOO,
P.O. - DORANDA,
P.S. - DORANDA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834002
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, CHINTA DEVI अन्य नाम BABLI DEVI पति VIDYA KUMAR PASWAN, शपथ पत्र सं० 15076, दिनांक 8 अगस्त, 2023 के अनुसार CHINTA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

CHINTA DEVI एवं BABLI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - NARAYANPUR,
P.O. - SOH,
P.S. & DIST. - GARHWA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RUKMANI KUMARI अन्य नाम SEEMA KUMARI पति RAGHUNATH PANDAY, शपथ पत्र सं० 2792, दिनांक 1 अगस्त, 2023 के अनुसार RUKMANI KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी।

RUKMANI KUMARI एवं SEEMA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - POWER HOUSE ROAD,
NEAR GIRLS SCHOOL,
P.O. & P.S. - CHUTIA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, GOLKI DEVI अन्य नाम SONA DEVI पति SURESH THAPA, शपथ पत्र सं० 29298, दिनांक 1 अगस्त, 2023 के अनुसार GOLKI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

GOLKI DEVI एवं SONA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - NEAR JAGARNATHPUR MANDIR NEW COLONY DHURWA,
P.O. - DHURWA,
P.S. - JAGARNATHPUR,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RAJNI RUNA SAWAIYAN अन्य नाम RAJNI RUNA पिता RUP ROHIT SAWAIYAN, शपथ पत्र सं० 676, दिनांक 11 अप्रैल, 2023 के अनुसार RAJNI RUNA SAWAIYAN के नाम से जानी जाऊँगी।

RAJNI RUNA SAWAIYAN एवं RAJNI RUNA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - HOUSE - 166/A 16A FIRST LANE,
KOKAR KHORHA TOLI,
LICHU BAGAN KOKAR,
RANCHI,
PIN - 834001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MANJU DEVI अन्य नाम MANJU ROY पति UMRAW ROY, शपथ पत्र सं० 1725, दिनांक 28 अगस्त, 2023 के अनुसार MANJU DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

MANJU DEVI एवं MANJU ROY दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - SECTOR 12/D, QTR. NO. - 2213,
P.O. & P.S. - SECTOR 12,
DIST. - BOKARO,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, VIKAS SINGH अन्य नाम VIKAS पिता PRAHLAD PRASAD SINGH, शपथ पत्र सं० 10, दिनांक 1 मई, 2023 के अनुसार VIKAS SINGH के नाम से जाना जाऊंगा।

VIKAS SINGH एवं VIKAS दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - FLAT NO. - 705,
PANCHWATI RESIDENCY,
KANKE ROAD,
CHANDANI CHOWK,
MISIRGONDA ALIAS PAHARGONDA,
RANCHI UNIVERSITY KANKE, RANCHI,
PIN - 834008
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, YAMINI RAI अन्य नाम YAMINI पति VIKAS SINGH, शपथ पत्र सं० 04, दिनांक 2 मई, 2023 के अनुसार YAMINI RAI के नाम से जानी जाऊंगी।

YAMINI RAI एवं YAMINI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - FLAT NO. - 705,
PANCHWATI RESIDENCY,
KANKE ROAD,
CHANDANI CHOWK,
MISIRGONDA ALIAS PAHARGONDA,
RANCHI UNIVERSITY KANKE, RANCHI,
PIN - 834008
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, UDAY KUMAR SINHA, AARAV SINHA (अन्य नाम AMAN KUMAR SINHA) का पिता, शपथ पत्र सं० 5161, दिनांक 4 अगस्त, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र AARAV SINHA (जन्म तिथि - 10 दिसंबर, 2006) के नाम से जाना जायेगा।

AARAV SINHA एवं AMAN KUMAR SINHA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

PERMANENT RESIDENT-- VILL. - KORARI,
P.S. - BELCHHI
DIST. - PATNA,
BIHAR

PRESENT RESIDENT-- SARLE DIPUGADDA,
CO - OPERATIVE COLONY,
P.S.- KORRA,
DIST.- HAZARIBAGH,
PIN - 825301
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, REKHA DEVI अन्य नाम SIMA DEVI पति Late SHRESH LAL, शपथ पत्र सं० 11, दिनांक 9 जून, 2023 के अनुसार REKHA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

REKHA DEVI एवं SIMA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - BHULI QR. NO. - A/474,
P.O. - BHULI,
P.S. - BANK MORE,
DIST. - DHANBAD,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BABY JHA, पिता SRI PALAT JHA, ISHITA SHREE (अन्य नाम ARADHAYA MISHRA) कि माता, शपथ पत्र सं० 07, दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री ISHITA SHREE (जन्म तिथि - 30 नवंबर, 2013) के नाम से जानी जायेगी।

ISHITA SHREE एवं ARADHAYA MISHRA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - HOUSE NO.- H/91,
ARGORA HOUSING COLONY,
P.O. & P.S. - ARGORA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834002
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BABY JHA, पिता SRI PALAT JHA, ANSHUMAN RAJ (अन्य नाम ANSHUMAN RAJ MISHRA) कि माता, शपथ पत्र सं० 08, दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र ANSHUMAN RAJ (जन्म तिथि - 4 नवंबर, 2010) के नाम से जाना जायेगा।

ANSHUMAN RAJ एवं ANSHUMAN RAJ MISHRA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - HOUSE NO.- H/91,
ARGORA HOUSING COLONY,
P.O. & P.S. - ARGORA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834002
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MOLLY GEORGE अन्य नाम MINI GEORGE पति K.D. GEORGE, शपथ पत्र सं० 684, दिनांक 14 अगस्त, 2023 के अनुसार MOLLY GEORGE के नाम से जानी जाऊँगी।

MOLLY GEORGE एवं MINI GEORGE दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - AMTAND, RATU RANCHI,
P.O. & P.S. - RATU,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835222
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, GEORGE K. D. अन्य नाम K. D. GEORGE पिता Late DEVASIA, शपथ पत्र सं० 236, दिनांक 10 अगस्त, 2023 के अनुसार GEORGE K. D. के नाम से जाना जाऊँगा।

GEORGE K. D. एवं K. D. GEORGE दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - AMTAND,
P.O. & P.S. - RATU,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835222
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, KARAM CHAND ORAON अन्य नाम KARAM CHANDRA ORAON पिता Late BUCHARU ORAON, शपथ पत्र सं० 1203, दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 के अनुसार KARAM CHAND ORAON के नाम से जाना जाऊंगा।

KARAM CHAND ORAON एवं KARAM CHANDRA ORAON दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - JAMPANI,
P.O. - NAGAR,
P.S. - SISAI,
DIST. - GUMLA,
PIN - 835324
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, PANDEY VIVEK NATH ROY, PANDEY RUDRA NATH ROY (अन्य नाम PANDAY RUDRA NATH ROY) का पिता, शपथ पत्र सं० 2776, दिनांक 1 अगस्त, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र PANDEY RUDRA NATH ROY (जन्म तिथि - 20 फरवरी, 2012) के नाम से जाना जायेगा।

PANDEY RUDRA NATH ROY एवं PANDAY RUDRA NATH ROY दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - GANPATI MARG,
EDALHATU,
P.O. - RANCHI UNIVERSITY
P.S. - BARIATU,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RAKESH ORAON अन्य नाम RAKESH KUMAR पिता BIRBAL SINGH, शपथ पत्र सं० 2253, दिनांक 14 अगस्त, 2023 के अनुसार RAKESH ORAON के नाम से जाना जाऊँगा ।
RAKESH ORAON एवं RAKESH KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - AT. - H.NO. - 35,
BARWATOLA, NEAR SHIV MANDIR,
SANKUL (BARWATOLA),
P.S. - PATRATU,
DIST. - RAMGARH,
PIN - 829119
JHARKHAND
